संलग्नक क्र.4

कार्यवाही विवरण

मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–देलारी एवं सराईपाली, तहसील व जिला–रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा क्षमता विस्तार के तहत स्टील प्लांट–स्पंज ऑयरन 1,20,000 टन प्रतिवर्ष से 4,17,000 टन प्रतिवर्ष, एम.एस. इंगाट्स/हॉट बिलेट्स 90,000 टन प्रतिवर्ष से 2,38,500 टन प्रतिवर्ष, टी.एम.टी. बार्स/रोल्ड प्रोडक्ट्स (रोलिंग मिल 85 प्रतिशत हॉट चार्जिंग एवं 15 प्रतिशत आर.एच.एफ. के साथ) 90,000 टन प्रतिवर्ष से 2,55,000 टन प्रतिवर्ष (या) एम.एस. स्ट्रीप मिल 1,65,000 टन प्रतिवर्ष (या) एम.एस. पाईप मिल 1,65,000 टन प्रतिवर्ष, डब्ल्यू.एच.आर.बी. पॉवर प्लांट 08 मेगावाट से 28 मेगावाट, एफ.बी.सी. पॉवर 04 मेगावाट से 14 मेगावाट, फेरो एलायज 2 गुणा 9 एम.व्ही.ए. (फेरो सिलिकॉन–14,000 टन प्रतिवर्ष/फेरो मैग्नीज–50,400 टन प्रतिवर्ष/सिलिको मैग्नीज–28,800 टन प्रतिवर्ष/फेरो क्रोम–30,000 टन प्रतिवर्ष/पिग ऑयरन–50,400 टन प्रतिवर्ष), नया ब्रिकेटिंग प्लांट (200 किलोग्राम प्रतिघंटा) एवं फ्लाई ऐश ब्रिक निर्माण इकाई (55,000 ब्रिक्स प्रतिदिन), ग्रांट ऑफ टॉर अंडर एस.ओ.पी. दिनांक 07.07.2021 (वाईलेशन कैटेगिरी) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई **दिनांक 27.06.2024 का कार्यवाही विवरण :–**

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार, मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–देलारी एवं सराईपाली, तहसील व जिला–रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा क्षमता विस्तार के तहत स्टील प्लांट–स्पंज ऑयरन 1,20,000 टन प्रतिवर्ष से 4,17,000 टन प्रतिवर्ष, एम.एस. इंगाट्स/हॉट बिलेट्स 90,000 टन प्रतिवर्ष से 2,38,500 टन प्रतिवर्ष, टी.एम.टी. बार्स/रोल्ड प्रोडक्ट्स (रोलिंग मिल 85 प्रतिशत हॉट चार्जिंग एवं 15 प्रतिशत आर.एच.एफ. के साथ) 90,000 टन प्रतिवर्ष से 2,55,000 टन प्रतिवर्ष (या) एम.एस. स्ट्रीप मिल 1,65,000 टन प्रतिवर्ष (या) एम.एस. पाईप मिल 1,65,000 टन प्रतिवर्ष, डब्ल्यू.एच.आर.बी. पॉवर प्लांट 08 मेगावाट से 28 मेगावाट, एफ.बी.सी. पॉवर 04 मेगावाट से 14 मेगावाट, फेरो एलायज 2 गुणा 9 एम.व्ही.ए. (फेरो सिलिकॉन–14,000 टन प्रतिवर्ष/फेरो मैग्नीज–50,400 टन प्रतिवर्ष/सिलिको मैग्नीज–28,800 टन प्रतिवर्ष/फेरो क्रोम–30,000 टन प्रतिवर्ष/पिग ऑयरन–50,400 टन प्रतिवर्ष), नया ब्रिकेटिंग प्लांट (200 किलोग्राम प्रतिघंटा) एवं फ्लाई ऐश ब्रिक निर्माण इकाई (55,000 ब्रिक्स प्रतिदिन), ग्रांट ऑफ टॉर अंडर एस.ओ.पी. दिनांक 07.07.2021 (वाईलेशन कैटेगिरी) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु **लोक सुनवाई दिनांक 27.06.2024, दिन–गुरूवार को प्रातः 11:00 बजे से स्थल–सिन्धु फार्म के समीप का स्थल, ग्राम–शिवपुरी, तहसील व जिला–रायगढ़ (छ.ग.)** में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़, की अध्यक्षता में लोकसुनवाई प्रातः 11:00 बजे प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ उपस्थित थे। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानो की जानकारी दी गयी, साथ ही कोविड 19 के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 30.09.2020 के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने, हेण्डवाश अथवा

सेनेटाईजर का उपयोग किये जाने, मास्क पहनने एवं थर्मल स्केनिंग किये जाने की जानकारी दी गई। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार को प्रोजेक्ट की जानकारी, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, रोकथाम के उपाय तथा आवश्यक मुद्दे से आम जनता को विस्तार से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सुनवाई में कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के प्रस्तुतिकरण से प्रांरभ हुई। सर्वप्रथम मैं कमल अग्रवाल, संचालक रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड की ओर से माननीय अपर कलेक्टर महोदया एवं, एस.डी.एम. रायगढ़ से तिवारी साहब, हमारे आर.ओ. साहब साहू जी, क्षेत्रीय अधिकारी छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, सी.एस.पी. महोदय एवं उपस्थित अन्य सभी पुलिस अधिकारीगण, पुलिस प्रशासन का और साथ ही उपस्थित जनता का मैं इस लोकसुनवाई में स्वागत करता हूँ। हमारे द्वारा ग्राम देलारी और सराईपाली तहसील व जिला–रायगढ़ में स्टील इकाई का संचालन पिछले 20 वर्षो से किया जा रहा है इस हेतु छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा सम्मति नवीनीकरण जारी किया गया है जिसकी वैधता दिनांक 28.02.2025 तक है। हमारे द्वारा उक्त प्लांट में नवीन रोलिंग मिल का भी स्थापना किया गया है जिसकी क्षमता 90000 टन प्रतिवर्ष है इसकी तकरीबन 80 प्रतिशत कार्य को पूर्ण कर लिया गया है चुकि यह कार्य इन्वायरमेंट क्लीयरेंश की वैधता पूर्ण होने के बाद किया गया है इसलिये यह ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के अनुसार उल्लंघन के अंतर्गत आता है अतः रोलिंग मिल का शेष 20 प्रतिशत कार्य ई.सी. मिलने के बाद किया जायेगा। साथ ही इसका उत्पादन भी ई.सी. मिलने के बाद किया जायेगा हमारे द्वारा ई.सी. का आवेदन ऑनलाईन के तहत किया गया है। वर्तमान में क्षमता विस्तार के तहत स्पंज ऑयरन 1,20,000 से 4,17,000 टन, एम.एस. इंगाट, बिलेट 90,000 टन से 2,38,500 टन, टी.एम.टी. बार रोल्ड उत्पाद 90,000 टन से 2,55,000 टन या एम.एस. स्टील मिल 1,65,000 टन या एम.एस. पाईप मिल 1,65,000 टन, डब्ल्यू.एच.आर.बी. बेस्ड पॉवर प्लांट 8 मेगावाट से 28 मेगावाट, एफ.बी.सी. बेस्ड पॉवर प्लांट 4 मेगावाट से 14 मेगावाट, नवीन फेरो एलायज 2 गुणा 9 एम.व्ही.ए. जिसके तहत फेरो सिलिकॉन–14,000 टन प्रतिवर्ष/फेरो मैग्नीज–50,400 टन प्रतिवर्ष/सिलिको मैग्नीज–28,800 टन प्रतिवर्ष/फेरो क्रोम–30,000 टन प्रतिवर्ष/पिग ऑयरन–50,000 टन प्रतिवर्ष, नवीन ब्रिकेटिंग प्लांट 200 किलोग्राम प्रतिघंटा और फ्लाई ऐश ब्रिक निर्माण इकाई 55,000 टन प्रतिदिन की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। विद्यमान संचालित इकाई हेतु वर्तमान में कंपनी के पास 22.72 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध है तथा प्रस्तावित विस्तार के लिये 11.78 हेक्टेयर जमीन की और जरूरत है और कंपनी के द्वारा आधिपत्य में है प्रस्तावित क्षमता विस्तार की अनुमानित लागत 489 करोड़ रूपये है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजना के लिये वर्तमान पर्यावरण नियम हमारे द्वारा केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया इस तारतम्य में यह जनसुनवाई आयोजित की गई। हमारे द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिये संचालित वेस्ट हीट रिकव्हरी बॉयलर एवं स्पंज ऑयरन इकाई में ई.एस.पी., संचालित विद्युत इकाई में भी ई.एस.पी., इण्डक्शन फर्नेस इकाई में बैग फिल्टर की

स्थापना की गई है सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की दक्षता पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम घनमीटर के अनुरूप है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार में डी.आर.आई. किल्नों में ई.एस.पी., इण्डक्शन फर्नेस इकाई में बैग फिल्टर, फेरो एलॉयस में बैग फिल्टर, एफ.बी.सी. बेस्ड पॉवर प्लांट में भी ई.एस.पी. की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। सभी प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की दक्षता पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 30 मिलीमीटर प्रति घनमीटर से कम के अनुरूप होगा। विद्यमान संचालित इकाई के लिये 450 के.एल.डी. पानी की आवश्यकता है जिसे भू–जल से प्राप्त किया जा रहा है जिसकी अनुमति सी.जी.डब्ल्यू.ए. से प्राप्त किया गया है। प्रस्तावित परियोजना के लिये 1360 के.एल.डी. पानी की आवश्यकता है जिसे केलो नदी से प्राप्त किया जायेगा। प्रस्तावित इकाईयों में क्लोज्ड सर्किट कूलिंग सिस्टम अपनाया जायेगा जिससे डी.आर.आई. किल्नो, इण्डक्शन फर्नेस, फेरो एलायज, रोलिंग मिल इकाईयों में किसी प्रकार का दूषित जल का उत्सर्जन नहीं होगा। पॉवर प्लांट में एयर कुल्ड कंडेशनर की स्थापना की जायेगी, जिससे जल खपत में काफी कमी आयेगी। अतः दूषित जल में भी कमी आयेगी। प्रस्तावित क्षमता के बाद औद्योगिक दूषित जल की अनुमानित मात्रा 380 के.एल.डी. होगा जिसका उपचार ई.टी.पी. के द्वारा किया जायेगा, उपचार के बाद इसका उपयोग डस्ट सप्रेशन, फ्लाई ऐश ब्रिक्स निर्माण, ऐश कंडिशनिंग और वृक्षारोपण हेतु किया जायेगा। प्रस्तावित क्षमता विस्तार के बाद घरेलू दूषित जल की अनुमानित मात्रा 24 के.एल.डी. होगा जिसका उपचार भी एस.टी.पी. के द्वारा किया जायेगा उपचार के बाद भी इसका उपयोग वृक्षारोपण एवं सिंचाई कार्य में किया जायेगा। शुन्य निस्सारण की स्थिति बनाई रखी जायेगी जिससे आस–पास पर्यावरण पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा। परिसर में 11.5 हेक्टेयर हरित पट्टी का विकास किया जा रहा है इसे और सघन किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में परिसर में अब तक लगभग 18,500 नग वृक्षारोपण किया गया है तथा इस मानसून में भी हमारे द्वारा 10,250 नग और वृक्षारोपण किया जायेगा। हमारे द्वारा संचालित इकाई में आस–पास के गांव में योग्यता अनुसार रोजगार दिया जा रहा है तथा प्रस्तावित परियोजना में भी उस हिसाब से प्राथमिकता दी जायेगी। सामाजिक दायित्व सी.एस.आर. के माध्यम से आस–पास के गावों का विकास पूर्व में भी किया जा रहा था और आगे भी किया जायेगा। परियोजना विस्तार में प्रदूषण की रोकथाम हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा सुझाये गये सभी उपायों को अपनाया जायेगा जिसमें परियोजना द्वारा निकटस्थ क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। अतः मैं प्रस्तावित विस्तार के लिये उपस्थित जनता से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। आप सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।

तदोपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा परियोजना से प्रभावित ग्रामीणजनों/परिवार तथा जन सामान्य से अनुरोध किया कि वे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव, जनहित से संबंधित मुद्दों पर अपना सुझाव, विचार, आपत्तियां अन्य कोई तथ्य लिखित या मौखिक में प्रस्तुत करना चाहते है तो सादर आमंत्रित है। यहां सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई जा रही है।

इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जो निम्नानुसार है –

सर्व श्रीमती/सुश्री/श्री –

1. संदीप कुमार भोय, सराईपाली – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। हमेशा रोजगार के क्षेत्र में लोकल लोगो को प्राथमिकता देती है और इसी तरह आगे सहयोग करते रहे।
2. बोधराम सिदार, भैसगड़ी – हमारे क्षेत्र में कंपनी के आने के बाद पहले महुआ को बिन कर खाते थे लेकिन कंपनी के आने के बाद हमारा क्षेत्र बहुत सक्सेस हो गया है। मेरे को पुलिस वाले भी चैलेंज किये थे बोधराम को देखेंगे। जनता का काम होना चाहिये विकास होना चाहिये। मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
3. सुनाउराम – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
4. मीरा चौहान – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। लेबर का भी रेट क्यों नहीं बढ़ा।
5. प्रेमशीला साहू – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
6. त्रिवेड़ी, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
7. कमला साहू – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
8. कांति बाई – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
9. प्रतिभा – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
10. तारीणी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
11. नहरबाई उरांव – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
12. रमा, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
13. नर्मदा, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
14. मंगलाई बाई – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
15. रेवती साव – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
16. कमला, सराईपाली – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
17. कलावती, सराईपाली – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
18. कलावती, सराईपाली – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
19. राजेश्वरी, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
20. शारदा, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
21. तन्नू यादव, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
22. नान्ही – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
23. सुमित्रा, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

24. अहिल्या, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
25. दुलेश्वरी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
26. रमा उरांव – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
27. फुलबाई – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
28. जया महंत – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
29. प्रिति साहू, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
30. सुमती साहू – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
31. कविता, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
32. तमन्ना, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
33. बसंती, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
34. प्रिति, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
35. विभा, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
36. रविना, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
37. दिलेश्वरी, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
38. रत्नपाल, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
39. कमला, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
40. राखो बाई – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
41. गुड़डी, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
42. चित्रसेन, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
43. पदमा, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
44. मालती यादव, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
45. फुलबाई देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
46. रूकमणी, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
47. पूर्णीमा – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
48. लता, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
49. रूकमणी, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
50. रूकमणी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
51. मेहत्तरीन बाई, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
52. सुमंत यादव, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
53. कुम्हारी बाई – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
54. बरतमती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

Asalu

55. पुनिबाई – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
56. रनमती, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
57. सावित्री, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
58. राधा, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
59. मिना साहू – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
60. रनबती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
61. नेहा, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
62. गंगई बाई, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
63. गुरबारी, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
64. कमला साहू, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
65. सावित्री देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
66. प्रतिमा, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
67. संगीता, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
68. रामबाई, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
69. रातिया, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
70. जमुना, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
71. पूजा, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
72. चंदा, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
73. सुमिता बाई, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
74. सुमित्रा अघरिया, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
75. सरिता, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
76. लक्ष्मी, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
77. अहिल्या – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
78. पनपुड़ी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
79. बुधयारिन – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
80. जयमती, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
81. साधना, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
82. पार्वती, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
83. जानकी, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
84. मंगलाई, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
85. प्रतिमा, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

86. सुनिता, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
87. सरस्वती, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
88. सुनिता, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
89. आशमती, सराईपाली – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
90. रूकमणी, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
91. मांगमती, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
92. कन्याकुमारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
93. प्रधान, – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
94. पंकज, सराईपाली – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
95. दीलिप – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
96. टिकाराम साव – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
97. रमा पटेल, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
98. ईतवार सिंह – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
99. जोगीराम, सराईपाली – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
100. साधुराम – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
101. मंगलसाय – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
102. कन्हैया लाल, सराईपाली – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
103. चमेली – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
104. फूलकुमारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
105. जयंती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
106. लुरा – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
107. हेमा – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
108. जानकी, देलारी -- मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
109. फुलबाई, – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
110. मोंगरा, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
111. गोमती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
112. मंगरवती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
113. पदमा, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
114. जानकी, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
115. लालमती, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
116. मीरा, गेरवानी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

117. सुशीला, गेरवानी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
118. राधिका, गेरवानी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
119. अहिल्या – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
120. सुशीला, गेरवानी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
121. सहनी देवी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
122. पुतली देवी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
123. सुमित्रा – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
124. रजनी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
125. बसंती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
126. निलावती, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
127. रामकुमारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
128. विजय साहू, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
129. गजानंद – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
130. मंगलसिंह, गौरमुड़ी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
131. किरतन, सराईपाली – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
132. प्रेमप्रकाश – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
133. सजल – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
134. नंदकुमारी, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
135. ललिता, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
136. सुशीला, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
137. पुनिमती, – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
138. पुष्पा, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
139. सुलोचना, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
140. मीरावती, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
141. सुखवारो, सराईपाली – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
142. राजकुमार – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
143. गौतम – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
144. पुनीराम, सराईपाली – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
145. नरेन्द्र – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
146. मंगल – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
147. संतोष – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

148. अनिल मांझी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। मेरे को रायगढ़ इस्पात 10000 दिया था।
149. जयप्रकाश – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
150. रामकुमार लोधा, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
151. जानकी राठिया – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
152. चेतना – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
153. जगमती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
154. गुरवारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
155. बिमला – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
156. कांति – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
157. धरणी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
158. तिजमती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
159. राजकुमारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
160. फुलमती, सराईपाली – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
161. सुलोचना – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
162. लक्ष्मी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
163. प्यारे – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
164. दीपिका, सराईपाली – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
165. ममता, सराईपाली – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
166. एकता – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
167. गंगामती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
168. तिजमती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
169. पुनीबाई – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
170. धनमती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
171. रंगामती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
172. सुमती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
173. अनिल – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
174. कमलेश्वर, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
175. श्रीराम राठिया, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
176. छोटु, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
177. पुनुराम – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

178. माधव – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
179. मनबोध – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
180. सहनराम – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
181. विजय – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
182. रांगा सिदार – रायगढ़ इस्पात क्रिकेट खिलवाता है बिना मतलब पैसा देता है, आदमी को जानकारी होना चाहिये। हम गांव का आदमी है। बिना पुछे पैसा कैसे देता है। आदमी को जानकारी होना चाहिये। जो जाता है उसको पैसा दे देता है अनाब–सनाब। छोटे बच्चें से काम करवाता है रायगढ़ इस्पात।
183. बुधराम – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
184. कार्तिकराम, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। रायगढ़ इस्पात का बहुत समर्थन हो रहा है और देना भी चाहिये।
185. जादूराम – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
186. चंदन सिंह – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
187. बिरबल, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
188. राजू, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
189. टिकाराम – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
190. मोहनलाल – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
191. नेहरू – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
192. शिवचरण – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
193. सुनिता, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
194. कुशुम, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
195. रामा, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
196. गिरजा – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
197. सुमन यादव, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
198. प्यारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
199. केशव – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
200. रवि, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
201. अक्षत राठिया – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
202. रामदयाल, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
203. सूरज, – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
204. सतीश – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
205. जनकराम, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

206. ननकी राम, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
207. रामलाल, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
208. दुजेलाल, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
209. हिरूराम, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
210. श्रवण कुमार, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
211. रामनाथ, गेरवानी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
212. गणेश – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
213. नवीन – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
214. राजकुमार – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
215. प्रकाश – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
216. लोकेश – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
217. शुभम, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
218. सेतकुमार – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
219. जनक – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
220. कमल – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
221. अमर – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
222. शिवम – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
223. दीपक – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
224. सुखसाय – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
225. चंद्रकुमार – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
226. कन्हैयालाल – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
227. कलानिधि – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
228. कार्तिक – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
229. अक्षय – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
230. सूरज कुमार – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
231. प्रताप – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
232. चुड़ामणी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
233. रोहित – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
234. बसंत राठिया – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
235. हेमंत सिंह – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
236. दुखीराम – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

237. नेहरूलाल – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

238. घुरवा – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

239. नरेन्द्र – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

240. लक्ष्मी राठिया – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

241. बोधराम – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

242. फागुलाल – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

243. उजल यादव – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

244. राधे राठिया – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

245. रवि यादव – आज इस मिलिभगत और फर्जी जनसुनवाई तो हो रहा है उसका सामुहिक रूप से विरोध करने आया हूँ। मैंडम ये क्या बोलते है जो ग्रीनहाउस वाला परमिशन होता है इसका पूर्णतः मैं जिले में जनसुनवाई के लिये प्रतिबंधित जिला बन चुका है आपको भी जानकारी होगा इसके बावजुद आप लोग किस आधार पर जनसुनवाई करा रहे है ये समझ से परे है। साथ ही यहा आउटसोर्सिंग जिले में जितने भी बेरोजगार युवा है इनको कभी आप लोगो ने और ना ही प्लांट प्रबंधन के लोगो ने सामुहिक रूप से रोजगार के लिये बात की ना यहा के लोगो के लिये और कोई सुविधा मुहैया करवाया। आज 300–500 रूपये देकर लोगो को दारू पिलाकर यहा समर्थन के लिये आप लोग लेकर आ रहे है। आज पर्यावरण विभाग, हमारा जिला प्रशासन पूरा षड़यंत्र तरीके से प्लांट के जनसुनवाई को समर्थन करा रहे है और ये फर्जी जनसुनवाई से मैंडम आपको जानकारी होगा रायगढ़ में चाहे दुनिया में किसी भी लोगो का फेफड़ा हमारा होता है गुलाबी कलर का, कल की रिपोर्ट जो है आई है डॉक्टर राजू जी द्वारा उसमें रायगढ़ में 80 प्रतिशत लोगो का फेफड़ा काला रंग का होते जा रहा है। इन सब चीजों को देखते हुये मैडम आप लोग समर्थन में, विस्तार में समर्थन में मदद कर रहे है ये बहुत दुःख की बात है। आप लोग ए.सी. गाड़ी में आते है मैडम और जनसुनवाई करवाकर चले जाते है, साल के 365 दिन हमारे लोग यहा पर मरते है, एक्सिडेंट होते है, यहा आज कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति 70–80 साल से अधिक जीवित नहीं है। रायगढ़ से बाहर जाओं 100 साल, 120 साल औसत आयु जीते है वो लोग, आज ये स्थिति क्यों बन रही है? आप लोग आये है, आप लोग गाड़ी मे बैठकर के जैसे आये है वैसे चले जायेंगे, भुगत हम लोग रहे है। मैंडम केवल सुन करके आप लोग लिखकरके जाये ऐसा रायगढ़ ग्रामीण उम्मीद नहीं करता है। आप लोग बताये कि बिना ग्रीनहाउस का जो रिपोर्ट है उसके बिना अनुमति के किस आधार पर जनसुनवाई किया जा रहा है। सर यहा केवल सुनकर और बोलकर जाने के लिये हम नहीं आये है, इस चीज को आप लोगो को गंभीरता से देखना होगा सर। आज हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े मंत्री है जो इसी विभाग से है ओ.पी. चौधरी जी आज एक समझदार व्यक्ति इस प्रकार जैसे 5 साल में 10–20 जनसुनवाई हो रही होंगी, इस 6–7 महिने में 15 से अधिक जनसुनवाई हो चुकी ये रायगढ़ ग्रमीण और रायगढ़ शहर को, रायगढ़ के 1–1 गांव को आप लोग किस दिशा में ले जा रहे है। ये चीजें आप लोग पता नहीं आप लोकल है या

नहीं, हम तो गांव के लोग है मैडम। हम लोग अधिकतर सुनते है कि अधिकारी लोग बाहर के होते है, दूसरे गांव के होते है लेकिन उनको जीना–खाना यही है मैडम। यहा एक जी.एम. है पण्डा जी वो कुछ हद तक सुनते है लोगो की बातो को लेकिन इस प्रदूषण को रोकने के लिये पर्यावरण जिला प्रशासन कभी भी अंकुश नहीं लगाते है। कोई मरते है तो खानापूर्ति कर दिया जाता है। ऐसे में यहाँ जनसुनवाई और भी होने वाले है, कल होने वाले है, परसो होने वाले है जितने भी अब जनसुनवाई होने वाले है सभी में मेरे को कल शाम को ही पता चला है कि जनसुनवाई है, हमको अगर समय मिलता तो बहुत ही मात्रा में हमारे सारे टीमो के साथ विरोध करते। अभी कुछ ही टीमो के साथ हम विरोध करने आये है। और यहा जो लोग है बुजुर्ग लोग खरसिया ब्लॉक चाहे सारंगढ़ ब्लॉक ये तीनो ब्लॉक के अपेक्षा में अंस्थमा के जो पीड़ित है हमारे रायगढ़ में वो इतने बढ़ गये है कि केवल मेडिकल में जो है अस्थमा का दवाई हमारे रायगढ़ और तमनार ब्लॉक से खरीदा जा रहा है और मात्र 7–8 हजार का नौकरी हम लोगो को। यहा इंजीनियर जो है वो बाहर के है जो स्किल्ड लेबर है वो बाहर के है यही प्लांट की बात नहीं हर एक प्लांट का बात है। आज प्लांट प्रबंधक का जो सी.एस.आर. आता है यहा का डी.एम.एफ. जो व्यवस्था है जो डी.एम.एफ. की राशि होती है उसको सारंगढ़ में ले जाया जाता है। मैंडम यहा एस.डी.एम. साहब भी है, तहसीलदार साहब भी उपस्थित है मैं उनके माध्यम से जिले के कलेक्टर हमारे गोयल साहब जी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यहा जितने भी सबसे ज्यादा राजस्व हमारा विधानसभा देता है आज सड़क की स्थिति आप आये है देखे है, प्रदूषण की स्थिति आप आये है देखे है। पर्यावरण विभाग एक भी तालाब बता दे जो स्वच्छ हो, जहां मछलियां जिंदा हो, जहां नहाने लायक हो ये स्थिति दिन ब दिन विकराल होते जा रही है और इसका भुगतान हमारे बच्चो, हमारे आने वाले पीढ़ियों को जायेगी। आज आदमी समय से पहले बुजुर्ग होते जा रहे है ये सब बोलने के लिये हमको हंसी आति है लेकिन सच्चाई यही है। साथ ही जिले के और प्रदेश के पर्यावरण विभाग के जितने भी अधिकारी है भविष्य में बहुत ही विकराल रूप में विरोध, रायगढ़ ग्रामीण का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। भविष्य में हर जनसुनवाई का विरोध करेंगे। आज ये स्थिति जिला पर्यावरण और प्रशासन विभाग के कारण हम लोगो को भुगतना पड़ रहा है। आप लोग नहीं होते तो यह परिस्थिति नहीं होती। आप लोग सहयोग नहीं करते तो ये परिस्थितियां नहीं होती। आज यहा पुलिसबल है, जिला प्रशासन है आप लोगो का अंतःमन क्या कहता है मैं नहीं जानता हूँ, हमारे लिये केवल और केवल जिला का स्वच्छ होना जरूरी है बाकी खान–पान हम लोग अपने भुजाओं के दम से कमाते है हम किसान लोग है। आज इस स्थिति में जो लोकल लोग है उनको पैसा देकर मैनेज कर दिया जाता है, इस जनसुनवाई में पैसा देकर क्या मैनेज होगा, भाई जब पैसा ले रहे हो तो किसी अस्पताल के लिये लो, क्षेत्र में एक भी शासकीय स्टेडियम नहीं है जिसमें युवा इस क्षेत्र के खेल सके मैडम, आज इतने प्लांट है इस क्षेत्र में कि अगर कोई आदमी खुद गिनेगा भी तो उसको रात हो जायेगा। ना स्टेडियम है, ना अच्छा अस्पताल है, ना यहाँ जो प्रभावित लोग है उनके हित के लिये किसी भी प्रकार का काम यहाँ नहीं हो रहा है। आज भविष्य को सोच करके तकलीफ होती है और केवल सफेद कपड़े वाले जो उद्योगपति वो उनको

भुगतना नहीं है किसी चीजों के लिये आज एक्सिडेंट में मरेंगे तो हमारे लोग मरेंगे, हमारी बच्चियां पढ़ने जाती है उनका आये दिन दुर्घटना होता है। तो इन सभी स्थितियों को देखते हुये जिला प्रशासन मौन रहकर समर्थन करना ये फर्जी जनसुनवाई के पक्ष में कराता है। मेरे को लगता है कि जिला प्रशासन, पर्यावरण विभाग और जितने भी विभाग संलिप्त है सभी आंख बंद करके यहां मैनेज हो करके समर्थन कर रहे है और मौन सहमती समर्थन के बराबर है। यहा जो रिपोर्ट बन गया पर्यावरण विभाग का उसमें बताया गया है कि यहां पशु–पक्षी नहीं रहते, चिड़िया नहीं रहते, पेड़–पौधे नहीं है, पेड़ पौधे कम है ये बहुत खतरनाक स्थिति हो सकता है। भगवान ना करे जो हमारे फ्यूचर के बच्चे आज हम यहां जैसे सांस लेकर जी रहे है, धुल खा रहे है, डस्ट से, अस्थमा से पीड़ित हो रहे है वैसे किसी आप बड़े अधिकारियों के बच्चे या उनके परिवार में लोग ग्रसित ना हो। आज ये जनसुनवाई में सभी अधिकारियों का मौन रहना और मौन समर्थन करना हमारे रायगढ़ जिले के लिये बहुत दुर्भाग्य की बात है, इस चीज को लोकल लोग समझे जिस प्रकार से हम विरोध कर रहे है वैसे सभी विरोध करें। पर्यावरण विभाग से परमिशन उनको 5–7 प्रतिशत है लेकिन फ्लाई ऐश 70–75 प्रतिशत निकल रहा है। मतलब जितना परमिशन है उससे ज्यादा निकल रहे हैं, जांच के लिये अगर कोई गरीब आदमी लेटर लगाता है तो उसको पुलिस के माध्यम से अधिकारियों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनको मैनेज किया जाता है। आज पुलिस विभाग यहा सुबह से शाम तक समर्थन में है या विरोध में समझ नहीं आ रहा है। आप किस आधार पर जनसुनवाई करवा रहे है। आप लोग इस क्षेत्र को बेचने के लिये बैठे है। आप जवाब नहीं देंगे तो मैं यहा बैठ जाऊंगा और पूरा टीम यहा बैठेगी। हम लोग डरने वाले नहीं है। आप यहाँ पर कैसे बैठे है, किस आधार पर बैठे है। ये जो रास्ते बने है यहा से केवल बोल कर बाहर जाने के लिये है बैठने के लिये नहीं। दुःख इस बात का है यहा जनसुनवाई सफल हो जाती है। कलेक्टर साहब को बोलिये यहा से जो राजस्व जा रही है उसको यही के लिये लगाये। यहाँ क्रिकेट, बालीबाल जैसे बड़ा ग्राउण्ड होना चाहिये। सभी बातो को संज्ञान में लाते हुये मैं विरोध करता हूँ।

246. प्रेमचौहान, भेलवाटीकरा – विरोध।

247. दुलार शर्मा – विरोध करता हूँ और यहाँ निरंतर कंपनियों को बैठाया जा रहा है और अनुदान राशि के लिये ठगा जाता है। यहा के लोकल लोगो को रोजगार के लिये निवेदन करता हूँ पिछले बार की तरह ठगा नहीं जाये। बाहर के लोगो को ना रखे।

248. धनन्जय – विरोध करता हूँ क्योंकि कंपनी किसी भी बात को पूरा नहीं करता।

249. आत्माराम यादव – मैं रायगढ़ इस्पात का विरोध करने आया हूँ क्योंकि यहा के लोग रोजगार के लिये बाहर जा रहे है और यहा के लोकल लोगो को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। यहा बहुत एक्सिडेंट हो रहा है यहा के अनुदान राशि को सड़क में लगाया जाये। एक ही बरसात में सड़क उजड़ जा रहा है।

250. ओमकार – विरोध करता हूं कि लोगों को रोजगार नहीं दिया।

251. अजय – विरोध करता हूं।

252. गौरव – विरोध करता हूं गर्मी का मुख्य कारण उद्योग है। इसलिये विरोध करता हूं।
253. मुकेश – विरोध करता हूं।
254. कौशल – विरोध करता हूं
255. गुलाब – विरोध करता हूं।
256. दिनेश – विरोध करता हूं।
257. प्रदीप – विरोध करता हूं।
258. हेमंत – विरोध करता हूं।
259. दुर्गेश – विरोध करता हूं।
260. राहुल – विरोध करता हूं।
261. केदारनाथ – विरोध करता हूं।
262. ओमप्रकाश – विरोध करता हूं।
263. अखिल – विरोध करता हूं।
264. आशुतोष उपाध्याय, रायगढ़ – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। मैं इसलिये समर्थन करता हूं जो भारत सरकार जो 2047 विजन हैं उद्योगों के द्वारा ही भारत का विकास होगा। यदि कोई देश अपने उद्योग का समर्थन नहीं करेगा तो आत्मनिर्भर होने में सफल नहीं हो पायेगा। बाकी पर्यावरण प्रदूषण में सभी विभाग अपने कार्य करा रहे है। रायगढ़ इस्पात प्लांट यहां रोजगार को लोकल लोगों को प्राथमिकता दे रही है। लोकल रोजगार के बढावे के लिये समय–समय पर रोजगार के लिये आयोजन कराया जाता है तथा लोगों को मूलभूत सुविधाऐं हेतु सीएसआर दिया जाता है। कोरोना के समय में गर्मी के समय लोगों को दिया गया हैं चिकित्सा के संबंध में विशेष सहयोग किया गया है। जो मैं पिछले दो तीन दिनों से आसपास के लोगों की जो रोजमर्रा की जो दिक्कतें हैं उसे मुहैया किया जा रहा है। समर्थन करता हूं।
265. अमलेश – विरोध करता हूं।
266. रायतन – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
267. सुनील – विरोध करता हूं।
268. शैलेन्द – विरोध करता हूं।
269. राजकुारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
270. उर्मिला – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
271. राधाबाई – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
272. रामदेलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
273. रजनी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
274. विमला – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

275. ज्योति – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
276. सीमा – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
277. गंगोत्री – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
278. सुमती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
279. कमला – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
280. राधा – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
281. हेमंत – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
282. भरत – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
283. मनोज– मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
284. हेमदास – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
285. गौरांग – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
286. ऋषिकेश, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है। लोगों को रोजगार मिल रहा है क्षेत्रवासियों को लाभ मिल रहा है।
287. दिलीप – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
288. सुकेत – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
289. जय – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
290. राघव – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
291. लक्ष्मी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
292. परमानदं, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
293. रविशंकर – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
294. आयुष, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
295. कमलेश – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
296. सुरेश, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
297. सुरेश – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
298. विवेक – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
299. दिनेश – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
300. झनक – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
301. थ्वकास – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
302. सुशल – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
303. नरेश – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
304. दिनेश – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

305. रंजन – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

306. जितेन्द – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

307. शिवधर – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

308. प्रवीण – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

309. राजीव – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

310. सुदामा – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

311. उत्तम, गदगांव – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

312. दिनेश – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

313. सुखदेव – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

314. उचित – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

315. अरूण, बरपाली – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

316. सरना लाल – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

317. बोधराम – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

318. मानिकराम – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

319. अंकुर, सराईपाली – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

320. उमेश प्रधान, सराईपाली – आज इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं लोगों को बोला गया है कि इस क्षेत्र में जनसनुवाई है करके। यह उद्योग लोगों को भरपूर रूप से लोगों को रोजगार दिया है। धार्मिक कार्य, विवाह कार्य, सभी कार्यों के लिये इस उद्योग के द्वारा किया गया है। किसान ही नहीं अपितु रोजगार करने वाले वाहन चलाने वाले के सभी क्षेत्र में लोगों को रोजगार दिया गया है। मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

321. रामत्रिलोचन, गौरमुड़ी – बहुत जल्दी बड़े–बड़े किल्न स्थापित कर रहे हैं। लोगों को जाने का रास्ता नही है। उद्योगों के द्वारा सभी रास्ता का बंद कर दो। मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

322. सविता रथ, बरलिया – आज उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय, जिला पर्यावरण अधिकारी महोदय, कंपनी प्रबंधन, पुलिस आफिसर्स, राजस्व के अधिकारी और स्वास्थ्य के और जितने भी अग्निशमन वाले जितने भी यहा बैठे है आज की जनसुनवाई में आस–पास के जो ग्रामीण माताये, बहने आई हुई है मेरे ओर से सभी को सादर अभिनंदन, नमस्कार। मैं आज की इस जनसुनवाई में कुल पर्यावरणीय मुद्दो को लेकर और ई.आई.ए. नोटिफिकेशन को लेकर तकनिकी रूप से जिस विषय का गहन अध्ययन और गहन जन–जागरूकता लाने के लिये प्रयास करने चाहिये थे जिला प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी बनती थी और आज की जनसुनवाई में दो तरह की कन्फ्यूजन है एक है स्थापना और दूसरा है विस्तार। और मेरे हाथ में दो ई.आई.ए. है और न्यूज पेपर में भी 26 और 27 की जनसुनवाई को बताया गया था जिससे काफी

हड़बड़ाहट थी और लोगो में अभी भी कन्फ्यूजन है कि हम विस्तार का कर रहे है उन विशेष करके लोगो का जो थोड़े से साक्षरता दर हमारे इस क्षेत्र का कम है तो समझने और अपनी बात रखने में उन्हे बहुत दिक्कत आती रहती है तो आज मैं बात कर रही हूँ जो ई.आई.ए. बनी है और उसमें जो एस.आई.ए. है, सोसल इंपेक्ट असिसमेंट रिपोर्ट और इन्वायरमेंट इंपेक्ट असिसमेंट को बेहतर तरीके से जो 300 पेज का मेरे हाथ में है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण उसमें से छोटे–छोटे 10 बिन्दुओं पर अपनी बात रखने वाली हूँ और मुझे उम्मीद है कि तकनिकी रूप से जो ई.आई.ए. बनाये है, ये जनसुनवाई करवा रहे है और जिला प्रशासन और क्षेत्र के समुदायों के लिये खासकर मेरे जैसे इस क्षेत्र के जो यहा के कई ग्रामीण जो है उनके लिये पर्यावरणीय और समाजिक परिस्थितियों को संतुलन रखा जा सके। मैं उड़िया हूँ और बोली भाषा मेरा छत्तीसगढ़ी और उड़िया है लेकिन हिन्दी लिखने का प्रयास किया है। आज की जो मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड जो कंपनी है इसके इस तरीके से ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट की जो इसकी स्थापना और विस्तार की बात जो कहा जा रहा है उसमें कुछ प्वाईंट पर मेरी बात है कि आज जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा ग्राम–शिवपुरी तहसील व जिला–रायगढ़ में जो पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन पर जो आज ड्राफ्ट ई.आई.ए. बनाया गया है उसका केवल पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन में सर्वे एवं जांच 1 दिसम्बर 2022 से 28 दिसम्बर 2023 तक ई.आई.ओ. को बनाने में दर्शाया गया समय इसमें लिखा है। पाईनियर इन्वायरो प्राईवेट लिमिटेड एन.ए.बी.ई.टी. मान्यता वाले ये अध्ययनकर्ता दल यहा जो सर्वे, आंकड़े और जो डेटा इसमें डाले है 10 किलोमीटर की परिधि के अंदर कुल 58 गांव आते है। यही की बात नहीं है इनके अध्ययन में इन्होने स्वीकारा है कि एक ई.आई.ए. में आपका स्थापना जो कल होने वाला है उसमें 58 है और आज के विस्तार में महज इन्होने 35 गांव को लिया हैं। ताज्जुब है कि एक ही अध्ययन क्षेत्र, एक ही उद्योग क्षेत्र, एक की स्थापना क्षेत्र, एक की विस्तार क्षेत्र, एक ही ई.आई.ए. बनाने वाली संस्थान, एक ही जगह पर जनसुनवाई दो क्यो हो रही है? एक तो समय, दूसरा है जिला प्रशासन का दुरूपयोग, तीसरा जिला पुलिस बल का दुरूपयोग, राजस्व का, आफिस का इसको एक जगह हो जाता तो शायद समय परिस्थतियां और चींजें दुबारा नहीं करना पड़ता ये मेरा सुझाव आप नोट कीजिये कि कल की जनसुनवाई को निरस्त कराके उसकी भी सुनवाई आज ही ले लीजिये, आज ही रायशुमारी कर लीजिये और आज ही खत्म कीजिये। इसलिये कि मैं बार–बार सभी जनसुनवाईयों में आप लोगो से विशेष विनम्रता से कह रही हूँ की जनसुनवाई करवाने के लिये जिला प्रशासन, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के इतने बड़े अमले को खड़े करना जो पूर्व में जिले में अन्य काम उसमें काफी महत्वपूर्ण रूप से दुष्प्रभाव पड़ता है और इससे जुड़े तमाम जो जनसुनवाई करा रहे है अधिकारी, कर्मचारी इसमें शामिल होते है ये जनसुनवाई करवाने के लिये एक्चुवल में इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। यहा पर लॉ एण्ड आर्डर सम्हालने की बात हो चाहे जिला प्रशासन तकनिकी रूप से, राजस्व के मसले ठीक करने हो उसके लिये प्रति मंगलवार जिला कलेक्ट्रेड में वहा पर एक जनसुनवाई आयोजित होती है वहा पर लोग अपनी मुद्दे बोल सकते है लेकिन इस तरीके की जनसुनवाई के लिये जिला प्रशासन जो दुरूपयोग हमारे

पुलिस प्रशासन को लेकर के और जिस तरीके से रायगढ़ में अपराधिक स्तर बढ़ रहे है, आपकी जनसुनवाईयां में ज्यादा आप ये शक्ति को लगा रहे है वे बेहद ही अफसोस है महज इसका मैं विरोध करती हूं। आज की जो जनसुनवाई और कल की होने वाली जनसुनवाई, आगामी 4 जुलाई की जनसुनवाई और 12 जुलाई की जो जनसुनवाई है उसमें कंपनी प्रबंधन को आप एक पद अनुसार इनके लिये उनके दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता का खर्च जरूर ले। आज अगर आप लेंगे और आज इनको अगर विशेष अतिरिक्त काम में जनसुनवाई में भागीदारी कर रहे है जिला प्रशासन का जो नागरिक अधिकार है हमारा आज अगर हम जाये रायगढ़ में किसी अपराध को लेकर, किसी राजस्व के काम को लेकर, किसी स्वास्थ्य को लेकर तो वहां कोई अमला नहीं मिलेगा सब बोलेंगे की जनसुनवाई करवाने गये है तो हमारे टैक्स में जो पैसा आ रहा है ये सरकार के लोग है, निजी कंपनियों के, उद्योगपतियों के मनमर्जी हमको 300 फोर्स चाहिये, आप 400 भेज रहे है भगवान जाने क्यों और क्यों इतने अधिकारी, कर्मचारी लगा रहे है जिस दिन आप इनके लिये दैनिक भत्ता स्वीकृत कर देंगे उस दिन ये कंपनी वाले 5 सिपाही पद के आरक्षक पद के महिला और पुरूष की मांग करेंगे आज इनको 2500, 3000 दैनिक भत्ता का प्रावधान कर दीजिये ये दो ही अधिकारियों के बीच जनसुनवाई सम्पन्न करवा देंगे इतने बड़े फोर्स की मांग नहीं करेंगे तो आपसे विशेष अनुरोध है कि आज की जनसुनवाई में लगे और खुद के भी आपकी एक दिन की जो वेतनमान होता है उसमें आज का अतिरिक्त भत्ता का प्रावधान आपको करना चाहिये इसका मैं मांग करती हूँ। ई.आई.ए. पढ़ने से पहले ये मेरा एक विशेष रिक्वेस्ट था और मैं आती हूँ आपके ई.आई.ए. पढ़ने और इस जनसुनवाई के पर्यावरणीय समाघात में लिखे हुये मुद्दो को। तो आदरणीय इनकी जनसुनवाई इन्होने कहा है कि यह डेटा ग्रामसभा के समक्ष पर्यावरणीय सामाजिक प्रभाव आंकलन को सार्वजनिक रूप से किसी भी किस्म का कोई इस आज की जनसुनवाई का कोई विशेष मुनादी, खबर, चस्पा मेरे गांव में कम से कम बरलिया क्षेत्र में नहीं हुआ है, दनौट में नहीं हुआ है, भेलवाटीकरा में नहीं हुआ, गोवर्धनपुर में नहीं हुआ वहा के महिलाओं के मृददे नहीं निकल कर आये। सरपंचों को जब मैने पुछा तो उसने कहा कि हमसे ऐसा कोई किसी क़िस्म का पत्र नहीं आया है, मैने उनसे पुछा क्या आपके पास ई.आई.ए. आई है तो नहीं, और ना ही इस जनसुनवाई का किसी किस्म का नदी के उस पार का कही भी कोई प्रभाव इन्होने नहीं बोला है ना ही इस जनसुनवाई की जानकारी है। आदरणीय आपको बता दूं कि सर्वेक्षण किये गये डेटा पृष्ठ क्रमांक 216 अनुसूचित पेशा ग्रामसभा के तहत हमारा क्षेत्र आता है और इनको ग्रामसभा से 56 के 56 गांव में कही भी ग्रामसभा से पेशा अनुसूची क्षेत्र का इनको कोई समर्थन पत्र या अनुमति पत्र इस जनसुनवाई को कराने का मिला है और ना ही अनुमति दिया गया है, ना उनको जानकारी है इस सर्वे की जानकारी है। ई.आई.ए. में ये जो एक साल में ई.आई.ए. बनाने की बात करते है ये इस बात का ये बोलते है कि हम अस्थाई एक कार्यालय बनाये थे उस कार्यालय की जानकारी ना तो जिला प्रशासन को है ना ही स्थानीय समुदाय को है, ना मेरे को है। इसीलिये भी ऐसे जनसुनवाईयों को जो बेहद भ्रामक ई.आई.ए. और गुपचुप तरीके से बनाये गये डेटा के तहत कि इतने बड़े जिला प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और लोगो को परेशान ना किया

जाये ऐसे जनसुनवाई के आयोजन को तत्काल निरस्त किया जाये। आदरणीय आपको बता दूं कि भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों में आप लोगो ने शायद राजपत्र में पढ़ा है या नहीं पढ़ा उसको जरूर पढ़े कि राजपत्र से जारी 14 सितम्बर 2006 में केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 के नियम 5 के उप नियम 3ख के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा में सूचीबद्ध वर्तमान परियोजनाओं, क्रियाकलापों का विस्तार या आधुनिकीकरण प्रक्रिया या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के साथ पाश्चातवर्ती क्षमतावर्धक भारत के किसी भी भाग में धारा 3 की उपधारा 3 के अधिक केन्द्रीय सरकार के द्वारा समन्व्यय गठित स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पूर्व पर्यावरणीय निकासी के पश्चात ही उसमें प्रक्रिया में लिया जाना था लेकिन वो नहीं लिया गया है तो क्या आप मानते है कि 14 सितम्बर 2006 की अधिसूचना के जो गजट है, राजपत्र है उसकी अवहेलना आज आप यें जनसुनवाई करवा कर रहे है और मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण एन.जी. टी. ने अपने फैसले में कहा है उड़िसा में मेसर्स अजय स्टील बनाम भारत संघ के मामले में जब सुनवाई हुई उसमे 2014 में अपील संख्या 5 तारीख 27 मई 2014 में अपने आदेश के द्वारा अभिनिर्धारित किया है कि गुटिकाकरण संयंत्र, याद रखीये गुटिकाकरण संयंत्र पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना 2006 के अधीन आते है और पूर्व पर्यावरण निकासी ली जानी चाहिये। विद्यमान गुटिकाकरण संयंत्र के निकासी प्राप्त इनके पास नहीं है, ये आप पता लगा लीजिये, आप पढ़ लीजिये और देख लीजिये इनके पास नहीं और आपको बता दूँ इस परियोजना में लोकपरामर्श से संबंधित पैरा 7 के उपपैरा खण्ड के 3 के उपखण्ड 6 के निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जायेगा। जब यह बोलता है सभी एकल गुटिकाकरण संयंत्र जो 27 मई 2004 को या उसके पूर्व विद्यमान प्रचलन में थे उसके पास संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघराज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति से स्थापना प्रचालन की वैध सहमति चाहिये थी आज की इस जनसुनवाई के लिये जो आपके पास नहीं है। मूल नियम यह भारत के राजपत्र असाधारण भाग 11 का किसी भी आदेश का पालन आज के जनसुनवाई में नहीं किया जा रहा है। वही पर हम आते है टी.ओ.आर., द टर्म ऑफ रिफरेंस की अगर हम बात करे अध्याय में पानी इनको चाहिये 3180 के.एल.डी. पानी की आवश्यकता इनको चाहिये इनको उद्योग को चलाने के लिये और केलो नदी से पानी लेने का ये अपने ई.आई.ए. में बताया है। आप बताईये कि आपको और इनको परियोजना प्रस्तावक कंपनी को सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त करनी चाहिये थी, इनको पानी जैसे मुद्दो को लेकर, काहे पर चलायेंगे उद्योग और ये अनुमति उनके पास नहीं है और लोकसुनवाई आयोजित करने से पहले आप यह बताईये कि 3180 के.एल.डी. इनको पानी 1 दिन में चाहिये तो 365 के साथ गुणा कर देते है तो इनको टोटल 11 लाख 60 हजार 700 के.एल.डी. पानी 1 वर्ष में चाहिये इनकी कंपनी को तो आप ये बताईये कि केलो नदी से प्रतिवर्ष हम इतना पानी इस उद्योग को दे सकते है क्या? हमारा जल संसाधन विभाग इनको अभी तक अनुमति नहीं दिया है तो आज यह बताईये आप मानते है कि केलो नदी के आज की तारीख में इतनी क्षमता है कि उद्योग स्थापित किया जा सके। इसके बाद में आपको बता दूं कि वही केलो नदी की अगर हम बात करे तो पेयजल आपूर्ति

रायगढ़ जिले की पूरी निर्भर है केलो नदी में, अभी केलो के जल बचाने के विशेष मुहिम जहां से केलो का उदगम से लेकर संगम तक पुरे क्षेत्र की जनता कर रही है जिसका स्थानीय अभी सप्ताह भर पहले एस.डी. एम. रायगढ़ जी के द्वारा ज्ञापन सौपा गया है कि हमारे पास पानी के लिये हाहाकार मचा हुआ है गोवर्धनपुर का जो आपका जल संसाधन विभाग का जो पानी का जो संयंत्र स्थापित हुआ है वहा पानी की कमी के कारण 3 दिन तक रायगढ़ जिले में पानी की आपूर्ति ठप्प रही और केलो नदी जो है हमारी रायगढ़ जिले की जीवनधारा है और वो आज प्रदूषित ही नहीं बल्कि उसमे बहुत सारे पानी की कमी के साथ–साथ 6 किसम की मछलिया और जलीय जीव उसमें प्रदूषण और पानी की मात्रा कम होने से खत्म हो गई है तो क्या ये चिंता नहीं है कि रायगढ़ जिले के लिये हम पानी कहा से आपूर्ति करेंगे ये विशेष बड़ा सवाल था जो ई.आई.ए. बनाने वाले कंपनी देख ले, समझ ले। आदरणीय आपको बता दूँ कि इस पूरे वर्तमान में जो पानी के लिये जो लगाई है आपूर्ति ये पूरे तरीके से बाधित होगी अगर हम 11 लाख से ऊपर पानी दे तो, वहीं पर चूंकि केलो नदी के आस–पास 18 नाला जो सहयोग करती रही है उसके आस–पास 35 उद्योग आलरेडी बैठा दिया है तो वहा से जो आलरेडी 35 उद्योग पूर्व में जो स्थापित संयंत्र वहा पानी की आपूर्ति भूगर्भ जल से हो रहा है तो वहा जो 18 नाला का अस्तित्व जो देलारी पहाड़ से पूर्व में निकल कर आता था वो पानी का जलस्त्रोत सुख गया है, मतलब केलो नदी के सहायक जो जननी नदी, नाले थे आज की तारीख में वो खत्म है उनका कहीं अध्ययन इन ई.आई.ए. में करना जरूरी नहीं समझा, ना ही डेटा आज की जनसुनवाई में ई.आई.ए. में इन्होने डाला है तो ये खतरनाक इस तरह की हम अपना पानी तो खत्म कर डाले, वायु खत्म कर डाले वो तमाम इसके कैसे आस–पास के जनजीवन प्रभावित होगा, जैव विविधता पर क्या असर होगा, जीवों पर क्या असर होगा, आने वाली हमारी नैनिहाल पीढ़ी पर क्या असर होगा इसको थोड़ा सा गहन अध्ययन कार्ययोजना बनाकर आपको ये जनसुनवाई का आयोजित करानी चाहिये। आदरणीय आपको बता दूँ कि ई.आई.ए. में जिक्र तक नहीं किया गया है कि जलापूर्ति जो उनका अलग–अलग स्थानीय नाम है उन नामो को 18 नाला मतलब 18 छोटे–छोटे नाले है उनका नाम स्थानीय स्तर पर है वो नहीं है जिक्र। आपको बता दूं कि रायगढ़ मिडिया भी इन समाचार पत्रों में जलापूर्ति की जो कमी है रायगढ़ के अंदर उसको बीच–बीच में करते रहते है। आपको बता दूं इनके ई. आई.ए. में वृहद स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव वृहद केलो बांध परियोजना का ना तो इनके जी.पी.एस. नक्शा में 20 किलोमीटर के परीधि के अंदर बताया गया है, पूरी तरीके से केलोबांध परियोजना को छिपा दिया गया है, आप पढ़ सकते है मैं पृष्ठ क्रमांक आपको बता दूंगी, दिलीप सिंह जुदेव केलोबांध जो किसानों को पानी देने की बात के नाम से जो केलोबांध परियोजना स्थापना हुआ और हजारो लोगो ने समर्थन किया उस जनसुनवाई में आज तक उन किसानो के खेतो में एक बुंद पानी नहीं गया है और उद्योग लगातार अपने ई. आई.ए. में उस पानी को लेने की बात करते है लेकिन कागज में केलोबांध परियोज़ना वो बोलते है कि एक किलोमीटर में हमारा केलो नदी है वो ये नहीं बोल रहे है कि आधे किलोमीटर में आपका इतना बड़ा केलोबांध जो औद्योगिक कचड़ा, विभिन्न खनन और कोयला खदानों परियोजना, फ्लाई ऐश जंगलो में जो

फ्लाई ऐश डाला जा रहा है, फ्लाई ऐश डाईक का यहाँ बड़ा मुद्दा है, सारे ई.आई.ए. में फ्लाई ऐश डाईक को ईट बनाने की परियोजना की बात कही है, आपको बता दूं आज भी वो ईट परियोजनाये कही भी जमीनी स्तर में आप जानते है प्रशासनिक अधिकारी है मैं आपको क्या बताऊ, आपको क्या सीखाउ, आप जान रहे है ईट परियोजना नहीं है, फ्लाई ऐश डाईक नहीं है, सारे जंगलो में जाकर बारो मौसम, गर्मी में धुल में उड़ा लू के साथ फ्लाई ऐश, बारिस में बहकर केलोबांध के गहराई को पाट दे रहा है फ्लाई ऐश में। डब्ल्यू.एच.ओ. की टीम कहती है कि हीराकुंड डेम का जो पानी है उसमें 5 प्रतिशत कैसर की बीमारी उसमें है जो मछली खायेगा, आप बताईये हमारे किसान जमीन इसलिये दिये थे किसानों के खेतो तक पानी जा पाये और ये बांध से हमारे जनजीवन मछली जैसे मुद्दे पर हम पल पाये, आज वो पानी आप उद्योगो को बाट दे रहे है, बिना योजना बनाये, मैं असभ्य बात तो कर नहीं सकती हूँ लेकिन आप बताईये उन्होने कहा था कि आपके खेत चले गये तो क्या हुआ मछली आपका रोजगार होगा, आपका जंगल चला गया तो क्या हुआ मछली मारकर उसका ठेका मिलेगा, रोजगार मिलेगा, आस–पास के 10 गांव जो वृहद केलो परियोजना से प्रभावित गांव थे वहा खेतो को पानी मिलेगा, ना पानी मिला और ना वहा का मछली आज के डेट में केलो नदी के प्रदूषण का जो स्तर है भारत के सबसे ऊचे स्तर के प्रथम या द्वितीय में आपकी केलो नदी प्रदूषित गिनी जा रही है, सारे रोजगार के आयाम जो है इन प्रदूषणों में खत्म हो रहे है। आप ये बताईये रोजगार की ये बात करते है इनके ई.आई.ए. में, आपको मैं बता दूं मैडम कि ये बोलते है कि पृष्ठ क्रमांक 258 में फ्लाई ऐश के निपटान जैसे मुद्दो पर कुछ भी खास इनकी योजना नहीं है, 10 किलोमीटर के रेडियस में जो हैवीवेट मटेरियल जो 13 बेहद खतरनाक फ्लाई ऐश पर हैवीवेट मटेरियल पाया जाता है, आर्सेनिक, निकील ऐसे करके जो रसायन के स्टूडेंट होंगे वो बेहतर पढ़कर बता पायेंगे उन चीजों के जो केलो नदी का पानी जहां–जहां जा रहा है वहां पर स्वास्थ्य जैसे गम्भीर मुद्दे निकल कर आ रहे है क्योंकि केलो नदी की पानी पर्यावरणीय अभी खत्म होने की 1 केलो नदी की मौत की स्थिति आ गई है आप वहा के पानी से उद्योग चलायेंगे आप वो गुंजाईश को क्षमता को देख पाते है हम तो क्षमता नहीं देख पा रहे है, क्योंकि स्वास्थ्य जैसे मुद्दो को हम देखे कि अध्याय 3 पृष्ठ संख्या 57 में आधारभूत पर्यावरणीय स्थिति अनुकुलन नहीं है। वायु पर्यावरण, मौसम विज्ञान 5 स्थल यानी रायगढ़ इस्पात के आस–पास 5 स्थान पर दर्ज किये गये मौसम संबंधित आंकड़ो के लिये 1 दिसम्बर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक बाहरी प्रयोगशाला मेसर्स ग्लोबल इन्वायरो लैब हैदराबाद के द्वारा पुरे वर्ष मानव संचालन की बात ये कहते है, ना तो इन्होने कोई एफ.जी.डी. किया फोकस ग्रुप डिस्कशन, किसके साथ किया कौन समुदाय है जो इनको अनुमति दिया, क्या उसमें महिलाये आई, क्या बच्चो को इसमें शामिल किया, क्या वो आंगनबाड़ी शामिल हुआ, क्या वो स्वास्थ्य क्षेत्र शामिल हुये, क्या पूंजीपथरा थाना हुआ, क्या उर्दना पुलिस लाईन का जो रक्षासंयंत्र नहीं है बोल रहे है उनके लोगो की स्वास्थ्य जांच हुई, उनका खुन जांच हुआ, उनकी आंखे जांच हुई, तमाम जो चीजे स्वास्थ्य के मानक को जो रखते है वो कोई भी जांच रिपोर्ट इसमें नहीं है, क्या असर होगा, वर्तमान में क्या स्थिति में है कि हम कोई नई परियोजना को स्थापित कर पाये। क्या हमारी क्षमता

इतनी है कि हम इन जनसुनवाईयों को एक महत्त कार्ययोजना बनाकर खत्म करे। आपको बता दूं कि स्वास्थ्य जैसे मुद्दो पर ये सिलिकोसिस क्षेत्र है यहा पर पानी में फ्लोराईड है, यहाँ के पानी में आर्सेनिक है, यहाँ की मिट्टी प्रदूषित हो चुंकी है, यहा जैव विविधता में केवल हाथी जैसे बड़े मुद्दे नहीं है आपके किट–पतंगो की भी हस्र होने के साथ–साथ आपके वाईल्ड मशरूम जो 4 महिना हम पुटु बेचकर चलाते थे, 400–500 रूपया किलो हमारे जंगलो के पुटु का रेट आज के हमारे मार्केट में रेट था उसका स्पोर, वाईल्ड मशरूम का जो स्पोर होता है वो पुरी जैव विविधता का धारक है और यह क्षेत्र वाईल्ड मशरूम के लिये जाना जाता रहा है जो दवाई के काम आता रहा है वो मशरूम। मैडम आपको याद होगा मैने मशरूम का रिपोर्ट आपको दिया भी था मैने। एक बेहतर योजना हमं अपनी खाद्य सुरक्षा को देखकर करे, स्वास्थ्य अभियान को ताकत दे, इसके बाद जो रोजगार के आयाम है ये सम्मानित रोजगार महिलाओं का कि आप जो जंगली वनोपज संग्रह है, वन खाद्य है ये स्वास्थ्य के लिये बेहद महत्वपूर्ण था जो आपको बता दूं ये एनिमिया से लेकर, गर्भाशय से लेकर अस्थि जैसे रोगो के लिये जड़ीबुटी, कंदमूल यहा के जंगलो में विशेष रूप से पाया जाता रहा है वो तमाम चीजे जो है ये ऐसे परियोजना का जिसे बिना सोचे समझे फर्जी ई. आई.ए. बनाकर आप ऐसें जनसुनवाई करा करा कर आप खत्म करते है। मेरा अंतिम शब्द है कि अगर ये पीठासीन अधिकारी और जिला पर्यावरण अधिकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जिला–रायगढ़, छत्तीसगढ़ को इस लोकसुनवाई में ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी कि इस क्षेत्र में इतने किस्म के जैव विविधता के साथ–साथ आपको बता दूं कि यहा कृषि के, यहा खाद्य सुरक्षा के तमाम यहा चीजे रहीं है इनके ई.आई.ए. में बहुत सारे नोट्स है हमने तकनिकी रूप से कि इनका लोहा कहाँ से आयेगा, ये कहाँ से अपने ट्रक लायेंगे, कौन रोड बना है, इनका इन्फ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये कहा से अपने औद्योगिक कचरे का निपटान का अच्छा योजना कैसे नहीं बना है और इसके अलावा ये जो विस्तार कर रहे है इसके पूर्व के ई. आई.ए. के वादे और आज के जो वादे है इन वादो को ध्यान में रखते हुये ऐसे जनसुनवाईयों को कृपा करके ना आयोजित करे, ये समाज के लिये, देश के लिये, क्षेत्र के लिये और आने वाली पीढ़ी के लिये जो डी.एम.एफ.पी. हो या चाहे सी.एस.आर. के पैसे हो, चाहे यहा के महिलाओं के स्वरोजगार और स्थाई रोजगार की बात है कहीं भी इन्होने महिलाओं से संबंधित स्थानिय सम्मानित रोजगार, स्थापना, पूनर्वास जैसे मुद्दे और इनके लिये स्कूल, कॉलेज के अध्ययन जैसे महत्वपूर्ण बिन्दु इसमें छुटे हुये है, दुबारा अध्ययन किया जाये, दुबारा ई.आई.ए. किया जाये और उसके बाद ऐसे जनसुनवाईयों को आयोजित किया जाये तो आज कि ये बात मैं लिखित और मौखिक रूप में दे रही हूँ मुझे पावती करवाईये। इस जनसुनवाई में जितने भी है आज की तारीख का जितना उनका होता है उनका वेतनमान आज एक दिन का अतिरिक्त भत्ता आप जोड़े और उन्हे दे वर्ना ऐसे जनसुनवाईयों में नागरिकों की जो व्यवस्था के लिये जो जिला प्रशासन, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार से नियुक्त अधिकारी है उनको ऐसे आयोजनों में शामिल ना किया जाये यहा के लोग शांत है, यहा के लोग अच्छे प्रवृत्ति के है सभी बाहर के, अन्य राज्यों के अप्रवासी मजदूर से लेकर इन्वेस्टर से लेकर यहा इन्वेस्ट करते है, काम करते है उसके पीछे एक ही कारण है कि

छत्तीसगढ़ीया सबले बड़िया, बहुत अच्छे लोग है, कोई आपके ऊपर आज तक जनहानी या दुर्भावनावश कोई कुछ नहीं करता, शांति से आपके पास बात रखी जाती है, इतने बड़े फोर्स लाने के लिये पूरे क्षेत्र में दबदबा कायम करने की कोशिश ना किया जाये, आप जैसे ही इनके लिये भत्ता स्वीकारेंगे आप वैसे ही इनके संख्या और अनावश्यक जनसुनवाई कराने जैसे आज है जनसुनवाई, कल है जनसुनवाई तो कल की जनसुनवाई को आप अभी निरस्त करने का एलान करें और आज ही के दिन उसको खत्म करें जिसको जहां जाना होगा लिखपढ़कर आवेदन आपत्ति, समर्थन करता रहेगा लेकिन आज के डेट में आप कम से कम आपको कोई अधिकार नहीं है जिला प्रशासन के पुलिस के अधिकारियों को, राजस्व के और इतना बड़ा प्रशासनिक अमला जो जनता के टैक्स के पैसे से उपयोग किया गया ये दुरूपयोग है मैं ऐसे कड़े शब्दो से निंदा करती हूँ।

323. श्यामलाल – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

324. संजय – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

325. जगार – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

326. भरत – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

327. लिलाधर – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

328. रोशन कुमार – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

329. जयंत बहिदार – आदरणीय महोदय आज ये रायगढ़ इस्पात पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का क्षंमता विस्तार का लोकसुनवाई करने जा रहे है और ये प्लांट 15 वर्षो से भी अधिक से स्थापित है और इसके पास जितनी जमीन है प्लांट के भीतर इसका डायवर्सन नहीं हुआ है, भूमि परिवर्तित नहीं हुआ है गैर कृषि कार्य के लिये, हमने आपसे भी शिकायत किया है, कलेक्टर से भी किया है और शासन को भी भेजा है। आपको मालूम है ये जमीन बिना डायवर्टेड हुये इतने वर्षो से कैसे संचालित है मैं पुछना चाहता हूँ उनके प्रबंधन या सलाहकार से उनको बुलाईये, क्या उनके पास डायवर्सन के कागज है बताये या अगर डायवर्सन नहीं हुआ है तो उसकी जानकारी दे, आप पुछे आपको हक है और प्रत्येक उपस्थित नागरिक को भी पुछने का अधिकार है, अगर आप नहीं पुछेंगे तो हम पुछेंगे हम इनके परियोजना सलाहकार और प्रबंधन से ये जानकारी चाहते है कि जो इतने वर्षो से ये प्लांट संचालित है उस भूमि का डायवर्सन हुआ है या नहीं हम पुछेंगे बुलाईये उन्हे। आपके ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 में स्पष्ट है भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय का आदेश है उसमें स्पष्ट निर्देश है कि हमको पुछने का अधिकार है परियोजना से संबंधित मामले में, बुलाईये सर। इतना गलत हो रहा है और जिला प्रशासन चुपचाप बैठा है जानबुझकर, ये तो नहीं होने देंगे। आदरणीय ए.डी.एम. महोदय सर, मैडम बुलाईये उनको हमको जानकारी लेना है, आप नहीं लेंगे हम लेंगे जानकारी बुलाईये उसके बाद और बात है फिर हम करेंगे। ये जनसुनवाई को बंद करीये अगर आपमे हिम्मत नहीं है पुछने का तो, मैडम सर बोलिये अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मेरे को गिरफ्तार करवा दीजिये, मौन साधने से नहीं होगा। कैसा प्रशासन है। मैं जिला प्रशासन को बोल रहा हूँ, पुछने का अधिकार

है, ई.आई.ए. नोटिफिकेशन में प्रावधान है, लास्ट में नहीं अभी पुछने का है, लास्ट में नहीं और ए.डी.एम. साहब जिला प्रशासन का हिस्सा है और पीठासीन अधिकारी बनकर आये है, कलेक्टर है उनको जवाब देना पड़ेगा, पूछ ले, इन्क्वारी कराये उनको बुला कर जवाब तलब करें, स्पष्टीकरण मांगे वही तो हम बोल रहे है आप मांगीये हमको नहीं मांगने देंगे तो नहीं तो हम मांगेंगे क्योंकि नोटिफिकेशन में ये प्रावधान है जानकारी मांगने का, स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है आप बुलाईये डायवर्सन क्यों नहीं कराया अवैध है वो फैक्ट्री अवैध चल रहा है और आपको मैं बता दूं भूमिगत जल का अनुमति केन्द्रीय भू–जल बोर से इन्होने प्राप्त किया है उसका भी इन लोगो ने वैधता तिथि समाप्त होने के बाद भी पानी का निकासी कर रहे है, पानी का दोहन कर रहे है ये फैक्ट्री को चलाने के लिये आज भी उनका वैधता जो अनुमति है वो समाप्त हो चुका है, वैधता तिथि समाप्त हो गया है फिर भी पानी उठा रहे है क्यों नहीं बोलते है आप, फिर कैसे फैक्ट्री का विस्तार हो रहा है, कैसे अनुमति देंगे आप। 23 जनवरी 2024 को समाप्त हो चुका है। पीठासीन महोदय जो जमीन पर ये काबीज है पुराने जमीन पर उसमें आदिवासियों की भी जमीन है, शासकीय घास मद की भी जमीन है, सरकारी जमीन भी है और शासकीय पट्टे की भी जमीन है। अभी तक आपने जांच नहीं किया तो आज पुछिये ना सरकारी जमीन है कि नहीं और फैक्ट्री संचालित कर रहे है ये। कितना भर्राशाही, इतनी तानाशाही जब हम बता रहे है इतनी गलतियां है और हम अपने घर के लिये नहीं बोल रहे है हम सरकार का सहयोग कर रहे है, कानून का सहयोग कर रहे है, हम तो कानून की बात कर रह है जो सरकार को शासन को धोखा दे रहा है फैक्ट्री वाला उसको आपको इंगित कर रहे है उसको आपको उजागर कर रहे है, आपके ध्यान में ला रहे है और हम कानून का सहायता कर रहे है, कानून तोड़ रहा है उद्योगपति और आपका प्रशासन अगर इसमें कोई दोषी है तो उसको सजा दीजिये, हम तो कानून की बात कर रहे है, गैरकानून की बात थोड़ी ना कर रहे है। कानून का सहयोग करने वाले की तो कम से कम आपको सहायता करनी चाहिये। हम कानून का सहयोग करने के लिये ही नशा नहीं करते, जुआ नहीं खेलते, बीड़ी नहीं पीते, सीगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, गुटका नहीं खाते और झगड़ा–झंझट, मार–पिट नहीं करते कानून का सहयोग करने के लिये गांधीवादी तरीका अपनाते है नहीं तो हमको शराब पीना नहीं आयेगा क्या कोई ना कोई सीखा देगा, सीगरेट पीना नहीं सीखा देगा, 4 पैसे का सीगरेट आता है, जुआ खेलने नहीं सीखा 10 रूपया लेकर भी बैठोगे तो वो जुआ है, हम क्यों नहीं करते कोशिश करते है कानून का पालन करे अधिक से अधिक तो आप कानून का पालन करवाईये फैक्ट्री वाले से। इन सड़को में तो मरने का भी डर है, इतनी दुर्घटना क्यों हुई है इसको कारण पर गये है आप लोग, उसका कारण है उद्योग, कौन ऐसा गांव है जिसमें लोग नहीं मरे होंगे दुर्घटना में सड़क में, बुलाईये सर पुछिये मैं तो नहीं छोडुंगा जगह को या तो गिरफ्तार करवा लो, जनता को गिरफ्तार तो करवायेगी जनता के हाथ में क्या है, विरोध करने का हक है हम करेंगे, आपको गिरफ्तार करवाना है करीये और जनसुनवाई ले जाईये उद्योगपतियों को लाभ पहुचाने के लिये, जायेंगे न्यायालय में, कोर्ट में जायेंगे। जिस जमीन पर उद्योग स्थापित है वहीं पर्यावरण से संबंधित है, आपके जिला प्रशासन को दे रखा है पावती है, पर्यावरण विभाग में

दे रखा है पावती है, ए.डी.एम. श्री पाण्डेय साहब को व्यक्तिगत दिये है वो भी है, शासन को देकर पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर को वो भी है सब दे रखे है उसको और क्या देंगे, अभी बोलिये मैं दे देता हूँ चलिये मैं आपके यहा से डाटा निकाल लूंगा जांच कराईये चलिये मैं दे देता हूँ, अभी दे देता हूँ आपको, बुलाईये मेरे को पुछने दीजिये स्पष्टीकरण लेने दो। ये देखीये उन्होने ग्राम–देलारी में और आपको बता दे महोदया हमने इनके ई.आई.ए. रिपोर्ट में ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट में केवल खसरा नंबर था तो हमने पर्यावरण विभाग में जानकारी मांगा जो आजकल सूचना का अधिकार नाम है उसी के तहत मांगा और ये जो खसरा नंबर है इसका मालिक कौन है बताईये तो साहब लोगो ने बताया, पर्यावरण विभाग ने दिया कि भूमि के संबंध में चाही गई जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार निरंक है तो जब हम लिख कर देते है तो भी जानकारी नहीं मांगते है तो जमीन के मालिक के संबंध में इनको पास को कागज़ात नहीं है पर्यावरण विभाग में नहीं है तो हमने अपने प्रयास से निकाला और उसमें बताया गया है कि इन्होने जो नंबर दिया था खसरा नंबर 2/1 दामोदर सिदार का है जो आदिवासी है उसके बाद इनका 70/2 श्रीमती इच्छावति पति पराउ का है सामान्य वर्ग का, खसरा नंबर 72 गोकुल प्रसाद का है वो भी इसी वर्ग का है, फिर इन्होने 79 नंबर दिया है वो है लोकनाथ वगैरह जो आदिवासी है फिर इन्होने 80 नंबर दिया है जो जगतराम वगैरह वो भी आदिवासी है उनका परिवार है, 82/1 नंबर दिया है खसरा वो घास मद में शासकीय भूमि है, छत्तीसगढ़ सरकार की जमीन है और वो रजिस्ट्री तो होना नहीं चाहिये, आदिवासियों की जमीन कैसे खरीद लेगा इस बीच में पैसा वैसा देकर खरीदा भी होगा तो जानकारी लीजिये, 82/2 दुखनी बाई पति सुखराम ये भी आदिवासी वर्ग के है, 83/1 सुखलाल वगैरह ये भी आदिवासी वर्ग के है, अगर मैं झुठ बोल रहा हूँ तो कम से कम जमीन मालिक बता दे कि नहीं भैया हमने कब से बेच दिया है सरकार ने अधिग्रहण किया है बता दे आकर मैं झुठा हू तो मेरे मुँह में बताये कंपनी वाले को बुलाईये अगर मेरी जानकारी अधुरी है या फर्जी है तो वो बता दे आपकी जानकारी अधुरी है करके, फर्जी है, बुला लीजिये उनको, अभी तो बुलवाउंगा मैं। और ये उनका है खसरा नंबर 566 ये शासकीय पट्टे की भूमि है किसी गरीब को दिये होंगे, और फिर एक है 567 भगवत वो भी इसी वर्ग का है, एक 568 धोबा एवं अन्य 2 आदिवासी वर्ग का है और एक नंबर भी है जो इस कंपनी के मालिक के नाम पर है 569 खसरा नंबर उनके मालिक के नाम पर है तो मालिक के नाम पर जमीन कंपनी के नाम पर रजिस्ट्री क्यों नहीं हुआ और उसका डायवर्सन क्यों नहीं हुआ ऐसा होता है क्या, मरवाना है आपके राज में तो हमारे कहने का मतलब है कि जब इतनी अनियमित्ता है तो फिर इस कंपनी का विस्तार कैसे होगा और विस्तार नहीं हो सकता तो जनसुनवाई खत्म करीये, आप ये आर्डर करीये कि ये सब गड़बड़िया आप की है उससे बयान ले लीजिये लिखित में ले लीजिये और अगर ये गड़बड़िया लिखित में स्वीकार करते है तो स्थगित कर दीजिये, आपको मैने बताया कि जमीन की कोई जानकारी पर्यावरण विभाग को उन्होने नहीं दिया है, इतनी मोटी उन्होने ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट दे दिया, कार्यपालिका सार दे दिया परन्तु जमीन की जानकारी नहीं दी। जनसुनवाई करवा रहे है आप लोगो का तो कुलर लगा है यहा तो लगना चाहिये ना, पंखा वगैरह तो लगवा देते, कुछ

तो लगाते, मैने सुना है कि कई बार लोग बेहोश होकर गिर जाते है हो सकता है हमारे साथ भी हो। उन्होने अपने रिपोर्ट में दिया है आप पढ़िये तो सर उन्होने कहा है कि 34.5 हेक्टेयर जमीन इनको चाहिये, कुछ जमीन एक दूसरी कंपनी बंद कंपनी होगा उनसे भी एग्रीमेंट किया है 7 हेक्टेयर का परन्तु वो अपनी जमीन बताते है रजिस्टर्ड जमीन 27.404 हेक्टेयर है और उसमें डायवर्टेड लैण्ड बताते है 21.525 हेक्टेयर वो डायवेर्टड का आर्डर कहा है और ये भी बताते है अन्य डायवर्टेड लैण्ड 5.879 हेक्टेयर ये भी बताते है कि कुल 5 हेक्टेयर के बराबर है वो बतादे कागज, झुठी जानकारी है। ये जो मौजुदा प्लांट 22.72 हेक्टेयर में है सर उसका तो डायवर्सन भी नहीं हुआ है, उसमें आदिवासी की भी जमीन है, सरकारी पट्टे की भी जमीन है और घास मद की भी जमीन है क्या जांच कराते है उसके अंदर में ये बोलते है हम हरित पट्टी विकसित करेंगे, भैया जो 15–16–17 साल से फैक्ट्री चल रहा है उसमें ग्रीन बेल्ट क्यों नहीं हुआ एक तिहाई जमीन पर आप इनके पेड़ो की गणना कल लीजिये एक तिहाई तो है ही नहीं, झुठ बताते है कि इतने पेड़ लगे है पेड़ो की संख्या एक तिहाई के हिसाब से कम है एक हेक्टेयर में 2500 पेड़ कम से कम होना चाहिये और 15 मीटर का बेल्ट होना चाहिये पेड़ो का वो भी नहीं है। महोदय ये बताते है कि इनके फैक्ट्री से सरंक्षित वन वो 100 मीटर है, नहीं है आप जांच कर लीजिये लगभग लगकर है फैक्ट्री से ये बोलते है 100 मीटर लेकिन 100 मीटर भी नहीं है झुठ बोल रहे है ये और इन्होने लिखा है कि अनाम संरक्षित वन जब संरक्षित वन है तो सरकार ने तो नाम दिया होगा नाम नहीं बताया है इन्होने अनाम बताया है, कैसे चल रहे है आप लोग कैसे जांच करके जनसुनवाई करवाते है केवल जनता ने ठेका लेकर रखा है क्या कि सभी जानकारियों को देंगे और आप लोग महीने भर से चुपचाप बैठे है, महीने भर से तो ये जानकारी आनी चाहिये ना और एक जानकारी दे रहा हूँ ए.डी.एम. महोदय जब जनसुनवाई किसी परियोजना के लिये हो जाये चाहे नये हो या पुराने हो परियोजना स्थल से 10 किलोमीटर के दायरे में पर्यावरण अध्ययन होता है उसमें सभी प्रकार के जल, जंगल, जमीन, भूमि, भूमिगत जल, संग्रहित जल, नदी के जल, तालाब के जल, जानवर, कीट–पतंगे, पशु, मनुष्य, मनुष्य का आर्थिक एवं सामाजिक अध्ययन, स्कूल नजदीक में आ रहा है क्या, अस्पताल प्रभावित हो रहा है क्या ये तमाम पर्यावरणीय अध्ययन में आना है। स्कूल जाकर देखिये इस कंपनी के नजदीक पड़ता है स्कूल इसकी भी जानकारी झुठी दिया है ये, दूर बताया है। गांव की आबादी और जो मकान है वो भी नजदीक है इस फैक्ट्री के कैसे गांव बचेगा कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है पर्यावरण पर, इसका गंदा पानी गांव के खेतो में जाता है, सैकड़ो बार गांव वालों ने शिकायत कर दिया प्रशासन कार्यवाही नहीं करता और बरसात आ गया, खेतो में जायेगा उनके फसलो को नुकसान करेगा फिर फैक्ट्री का गंदा पानी केलो नदी में जायेगा वो नाला पड़ता है ना आप रायगढ़ से आये होंगे देलारी नाला और इन्होने बताया है कि जिंदल हवाई पट्टी 7.3 किलोमीटर की दूरी पर है इस परियोजना स्थल से आपको मैं जानकारी क्या दूंगा हमसे ज्यादा ज्ञान है आपको कोई भी परियोजना स्थल से 10 किलोमीटर के दायरे में जो प्रभावित क्षेत्र माना जाता है उसके अंदर अगर नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका आता है तो नगरीय क्षेत्र जो मुनिसिपल एरिया होता है अगर उसका कोई भी गांव,

कोई भी आबादी बस्ती अगर प्रभावित होता है तो उसकी गहन जांच होनी चाहिये और वो उस नगर निकाय के उस मुनिसिपल बाडी के उसके बिना सहमती के आप उस क्षेत्र में जांच भी नहीं कर सकते आपको उनके सहयोग से उनको आवेदन लगाके उनका पर्यावरण अध्ययन करना था, सघन आबादी, घना आबादी होता है मुनिसिपल ईलाका भले ही छोटा हो या बड़ा हो ये लिखते है जिंदल हवाई पट्टी 7.3 किलोमीटर की दूरी पर है मतलब नगरीय क्षेत्र है मुनिसपल एरिया में आता है रायगढ़ नगरनिगम, पतरापाली गांव और ये बोलते है निकटतम रेल्वे स्टेशन में ये बताये है किरोड़ीमल रेल्वे स्टेशन वो भी 8.7 किलोमीटर दूर बताया है इन्होने दक्षिण में तो 10 किलोमीटर दायरे के भीतर है इसलिये किरोड़ीमल नगरपंचायत जो मुनिसिपल ईलाका है वहां भी जांच होनी चाहिये वहा भी सघन आबादी प्रभावित हो रहा है इस प्लांट के 10 किलोमीटर के दायरे में और नगरनिगम रायगढ़ का उर्दना गांव, कृष्णापुर गांव ये नगरनिगम क्षेत्र में है वार्ड में आते है, भगवानपुर गांव, गोरखा, पतरापाली जिसमें जिंदल स्थापित है वो गांव इस तरह से आधा दर्जन गांव इस परियोजना के 10 किलोमीटर के दायरे में प्रभावित गांव है जो नगरनिगम रायगढ़ मुनिसिपल ईलाके के आबादी गांव है वो भी प्रभावित होंगे यहा क्या समाजिक अध्ययन किया इन्होने, नहीं किया, क्यों नहीं किया? पुछिये ना उनसे सघन आबादी वाले इलाके है, पतरापाली में तो हवाई अड्डा है, कारखाना है, बस्ती है, मजदूरो का बस्ती है, आदिवासी भी निवास करते है कितना व्यस्त इलाका है, अस्पताल है वहां, वहां जिंदल का बहुत बड़ा अस्पताल है, स्कूल है जिंदल का बड़ा वाला और बाताईये कैसे ये प्रभावित क्षेत्र नहीं है और कैसे इन्होने दर्ज नहीं किया है इसमें। ये अपनी जानकारी में बताते है अध्याय 2 में और तालिका संख्या जो इनका है उसमें बताते है 2.4.1 में भूमि उपयोग का वर्गीकरण वो बोलते है की निजी भूमि नहीं है बताते है, निजी भूमि का दर्ज किया है, निजी भूमि है फिर बोलते है सरकारी भूमि कोई नहीं है, वन भूमि कोई नहीं है, घास मद का अगर छोटे–बड़े झाड़ में नहीं आता है तो सरकारी जमीन तो है मगर ये बोलते है कोई जमीन नहीं है झुठी जानकारी दिये है। ये कहते है ई.आई.ए. रिपोर्ट में परियोजना प्रस्तावक 18500 पेड़ मौजुद है क्या जिला प्रशासन ने जांच कराया, कोई देखने गया है क्या 18500 पेड़ है या नहीं। एक और महत्वपूर्ण है वैसे तो मैं जितना बता रहा हूँ सभी महत्वपूर्ण है आपकी नजर में पता नहीं क्या है? आदरणीय ए.डी.एम. महोदय, और पर्यावरण अधिकारी महोदय इन्होने बताया है ये जो परियोजना लिखा भी है परियोजना जो विस्तार होगा ये ग्राम देलारी और सराईपाली मे भी होगा, सराईपाली को इन्होने परियोजना में शामिल किया हैं, कुछ जमीन सराईपाली का भी लिया है इन्होने और आपको हम बता दे पर्यावरण अध्ययन 10 किलोमीटर के दायरे में होता है जो हमारे भारत सरकार के कानून और नियम के तहत होता है ई.आई.ए. नोटिफिकेशन भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय का जो 14 सितम्बर 2006 को जारी हुआ है उसमें जो निर्देश है जो 10 किलोमीटर के दायरे में पर्यावरण अध्ययन होना चाहिये उस परियोजना स्थल से उसमें इन्होने कही पर भी सराईपाली का उल्लेख नहीं किया है, जिक्र नहीं किया है, सराईपाली गांव का अध्ययन नहीं किया है। आदरणीय राजेश जी क्या ये सही है जो अपने अध्ययन में इन्होने सराईपाली गांव को शामिल नहीं किया है जबकि सराईपाली गांव में ये परियोजना शामिल किया जा रहा है,

भी है और कुछ नया जमीन भी लेगा तो क्यों अध्ययन नहीं किया ये बहुत बड़ा इन्होने जानबुझकर इन्होने छुपाया है और ई.आई.ए. नोटिफिकेशन में ये बात भी दर्ज है सर कि आप ड्राफ्ट ई.आई.ए. बना रहे है और शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे है और जानबुझकर, मनगढत, फर्जी जानकारी देंगे तो वो गैर कानूनी है और जनसुनवाई को रोका जा सकता है। वैसे तो बहुत सी चीजे है आप लोग परियोजना स्थल में जनसुनवाई नहीं कराते है, आज तो नहीं करा रहे है कल करायेंगे, आज तो नहीं हो रहा है वो जगह में नहीं हो रहा है ना तो ये सराईपाली गांव का अध्ययन नहीं हुआ इस बात को आप लोग नोट करीये और ये नहीं चलेगा कि ये ड्राफ्ट रिपोर्ट है ड्राफ्ट रिपोर्ट में तो सुधार हो सकता है ये नहीं चलेगा, ये जानबुझकर छुपाया गया है। आप देख लीजिये सर्वेक्षण की अगर गांव की जनसांख्यिकी है, आर्थिकी है उसमें कही पर भी सराईपाली का नाम नहीं है, सराईपाली गांव का अध्ययन ही नहीं किया है इन्होने और आपको बता दे सर अपने अध्ययन में इन्होने जो डाटा कलेक्शन किया, जो सर्वेक्षण किया उन गांव में पंचनामा होना चाहिये उस स्थान पर जब कोई भी घटना होती है तो पुलिस पंचनामा बनाती है, पटवारी से बनवाकर पंचनामा बनवाते है, भले ही छोटो–मोटा तब भी पुलिस पटवारी को बोलकर पंचनामा बनवाती है नक्शा बनाकर देता है पटवारी, इतनी महत्वपूर्ण बातो का भी जब यहा अध्ययन करने जाते है किसी गांव में या किसी क्षेत्र में या नदी में तो उस इलाके के लोगो का पंचनामा होना चाहिये इतने तारीख को जांच किये, पंचनामा रिपोर्ट नहीं है इनके पास अपने मर्जी से टेबल में बैठकर बना दिये और इन्होने झुठी जानकारी दिया आपको हरित पट्टी का बता ही दिया वो बोलते है कि हम 11.5 हेक्टेयर ग्रीनबेल्ट विकसित किया जायेगा बोलते है 28 एकड़ में और मौजुदा प्लांट में 18 एकड़ में लगभग 18500 पेड़ मौजूद है। कुछ भी लिख देगा और प्रशासन इसको जांच नहीं करेगा इसको भी जांच कराना है, शासन को तो आप लोग भेजते नहीं है, ई.आई.ए. नोटिफिकेशन में ये है कि आज ही के तारीख में रिपोर्ट बनाकर, पढ़कर शासन को भेजना है मगर आप तो भेजते नहीं है। हप्ता दिन, 15 दिन लगाते है फैक्ट्री वाले से मिलकर बताओं भईया कैसे बनाना है बहुत गड़बड़िया तो है कैसे सुधार करे। बनवा देते है और फिर भेजते है तो पहले जांच कर लिजिये कितने पेड़ है, डायवर्सन का क्या मामला है उसको भी जांच कर लिजिये, सरकारी जमीन है वो भी जांच कर लिजिये तब भेजिये 15 दिन लगाकर हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। मदद करेंगे हम बोलिये ना आप हम मदद करेंगे, कागजपत्रा, डाक्युमेंट लाकर देंगे जो हमने निकाला है। 500 रूपया लगा सर इसलिये मैं आपको नहीं देना चाहता हूँ फ्री में आप लोग तो दोगे ही। पानी का बता रहा हूँ सर ये भूमिगत जल ले रहे है 450 किलोलीटर प्रतिदिन तो 23 जनवरी 2023 को इनकी वैधता खत्म हो गई है इसकी भी जांच कर लीजिये और अभी तक प्लांट चालू है पानी निकाल ही रहे है और वैसे भी फैक्ट्री वाले चोरी करते है ये 450 किलोलीटर प्रतिदिन जो लिखा है उससे कई गुना ज्यादा पानी निकाल रहे है। हमारे जिले का भूमिगत जल और नीचे चला गया है पानी की समस्या के लिये युद्ध होने वाला है और बहुत जल्द तीसरा, चौथा युद्ध होगा, कई कारण से होगा, पानी के कारण दंगल होने वाला है, पानी के कारण असंतोष फैलने वाला है, किसानों को पानी नहीं मिलेगा, केलो बांध की स्थिति देख लिजिये किसी गांव के बड़े तालाब से भी बुरी

हालत है ये उद्योगो के लिये बन गया है सिंचाई के लिये नहीं बना, इसकी जांच कराईये जितने फैक्ट्री है सब भूमिगत जल ले रहे है वो अवैध ढंग से ले रहे है, अनुमति समाप्त हो गया है, ज्यादा पानी ले रहे है, नदी से पानी ले रहे है कोई कंपनी तो वो भी ज्यादा पानी ले रहे है कोई जांच नहीं होता क्योंकि अपने बाप का तो नहीं है लेने दो कलेक्टर यही समझता है मेरे हिसाब से। बुरा हालत है पर्यावरण का इस क्षेत्र का और विस्तार की अनुमति नहीं देनी चाहिये, वायु प्रदूषण इतना फैल रहा है, बीमारियां फैल रही है, लोगो के फसलो को नुकसान हुआ है, प्रभावित हुआ है, फल, सब्जी भी नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र से पहले सब्जियों का उत्पादन रहता था, पुरे जिले में सब्जी जाते थे, आज सब्जी का उत्पादन खत्म हो गया है, फसल, अनाज का उत्पादन कम हो रहा है। मुनगा एक सब्जी है ना वो अब नहीं होता इस औद्योगिक प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के कारण, जंगल में महुआ उत्पादन कम हो गया है, वनोपज की मात्रा कम हो रही है, जानवर जंगल छोड़कर बस्ती में आ रहे है, बंदरो को जंगल में खाने के लिये कुछ नहीं है, सब शहर में आ रहे है, बस्ती, गांव में आ रहे है। ए.डी.एम. साहब आपको मैं एक चीज और बता रहा हूँ जितनी फैक्ट्री वाले अपनी रिपोर्ट बनाते है इस क्षेत्र का सब ये बोलते है हाथी का गलियारा नहीं है क्यो आपका फारेस्ट विभाग गलियारा घोषित नहीं करता, क्यों करेगा फैक्ट्रियों से पैसा मिल रहा है और ये लिखते है हाथियों की आवाजाही 10 किलोमीटर के दायरे में देखी गई है, सुनी गई है, हाथी आ रहा है आपको मालुम है अगर आपमे हिम्मत है तो चलिये रात में इन सड़को पर मोटर साईकल में गुजरिये पता चल जायेगा हाथी है कि नहीं। हाथियों का आवाजाही लिखते है इसकी तो जांच करा लिजिये जो ठोस है, स्थाई रूप से हमारे क्षेत्र की जो समस्या है जंगल का हाथियों के आवाजाही का, पेड़–पौधे का। आप वन विभाग से जानकारी लिजिये मौखिक रूप से बोलते है ये कि बहुत से प्रजाति पौधो की वो विलुप्त हो गई है और कई विलुप्त होने के कगार पर है, बुलाईये हमारे सामने पुछवाईये उनको, जैव विविधता नष्ट हो गई है इस क्षेत्र की ये सब जांच करिये सर और बुलाईये मैं खड़ा हूं पुछुंगा, ए.डी.एम. साहब बोलिये क्या कह रहे है? क्या नहीं बुलायेंगे, आप नहीं पुछेंगे, हमको नहीं पुछने देंगे, ई.आई.ए. नोटिफिकेशन भारत सरकार का पालन नहीं करेंगे, उनकी अवहेलना करेंगे, कानून तोड़ेगे बोलिये तो कुछ बोलिये नहीं बुलाउंगा बोलिये, बोलिये ना आदरणीय सर बोल तो दीजिये ताकि मैं छोडु पसीना हो रहा है, खुब पसीना छुट रहा है बोलिये तो, नहीं बोलेंगे दर्ज हो जायेगा, धिक्कार हो जायेगा, चलिये अभी बुलाईये, आखरी में बुलायेंगे, पक्का बुलायेंगे, पुछने देंगे। धन्यवाद!

330. धनमती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
331. दिपावली – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
332. दिना – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
333. रूपाली – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
334. डमा – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
335. रामबाई – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

336. बबीता – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
337. कविता – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
338. पुनाई – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
339. विद्यावती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
340. सुमन – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
341. गीता – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
342. आरती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
343. रितिका – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
344. रत्ना – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
345. मालती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
346. मालती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
347. लक्ष्मी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
348. जमुना – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
349. पुनम – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
350. सुंदरमती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
351. फूलकुमारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
352. पुर्णिमा – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
353. देवमती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
354. मनकुंवर – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
355. इन्द्रा – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
356. सरिता – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
357. हिरा – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
358. अंजू – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
359. अहिल्या – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
360. शिवकुमारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
361. मीनू – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
362. रिया – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
363. गायत्री – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
364. किरण – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
365. पूजा – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
366. चांदनी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

367. तेज – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
368. पिंकी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
369. गुलाबमती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
370. उमा – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
371. लक्ष्मी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
372. राजकुमारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
373. तिहारीबाई – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
374. तारामती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
375. कंतीबाई – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
376. सुखमती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
377. सीता – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
378. फूलमती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
379. शांतिमति – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
380. रोहिणी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
381. कुमारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
382. फूलमती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
383. जमुना – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
384. राजेश्वरी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
385. पुनिमती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
386. लक्ष्मीन – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
387. आशमती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
388. बालमती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
389. समारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
390. फूलकुमारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
391. सवित्री – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
392. सरजो – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
393. हिराबाई – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
394. बिमला – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
395. सुमती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।ण
396. धनमती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
397. तुला – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

398. मोहरबाई – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
399. तुलेश्वरी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
400. ललिता – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
401. सौहद्रा – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।ए
402. कुमुदनी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
403. आरती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
404. जननी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
405. पिंकी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
406. सुलोचना – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
407. गोमती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
408. डिकेशवरी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
409. लक्ष्मीन – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
410. सुरेखा – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
411. सुखमती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
412. सुलोचना – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
413. नंदिता – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
414. दिपा – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
415. तीजाबाई – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
416. धनमती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
417. सूरजमती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
418. सुनाईबाई – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
419. रामलीला – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
420. जानकी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
421. दशमती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
422. कांती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
423. मैत्रीन – मेसर्स रायगढ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
424. झाड़ूमती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
425. रजियाबाई – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
426. लीलावती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
427. सीमा – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
428. कमला – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

429. बबली – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

430. दिकुंवर – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

431. सुमित्रा – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

432. आंनदंमती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

433. भुरीबाई – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

434. भुंसाई – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

435. कमला – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

436. जानकी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

437. सुमती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

438. धनमती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

439. राजेश त्रिपाठी, जन चेतना मंच – मैडम मै पूरी जनसुनवाई की प्रक्रिया 11 बजे से देख रहा था एक जनसुनवाई आज है, एक जनसुनवाई कल है, एक ही कंपनी है, एक ही काम है बोलने वाला यही नहीं समझ पा रहा है कि आज विस्तार की जनसुनवाई है या स्थापना की है? और मुझे लगता है कि इस कन्फ्यूजन में बहुत लोगो ने स्थापना के विषय पर बोल रहे थे और इसका मूल कारण है कि स्पष्ट लोगो को जानकारी नहीं है। परसो तक अलग–अलग समाचार पत्रों में आज की आयोजित होने वाली जनसुनवाई का कल के तारीख में समाचार छापे की जनसुनवाई 26 और 27 है और उसमें काफी ज्यादा कन्फ्यूजन है बाकि आप हमारे यहा की जागरूकता तो देख ही लिये है, 90 साल के महिला से लेकर 5 साल तक के बच्चे पर्यावरण के प्रति कितने संवेदनशील है वो उनके बोलने से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि देखीये 100 से ज्यादा महिलाये अभी बोलकर चली गई उनके एक लाईन और एक शब्द में कोई डिफरेंश नहीं है। आज हम मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, देलारी एवं सराईपाली, तहसील रायगढ़ के क्षमता विस्तार से संबंबधित पर्यावरण के मुद्दे पर बात करने के लिये शामिल हुये है, अगर 14 सितम्बर 2006 की अधिसूचना को देखे तो ये जनसुनवाई 21 मार्च 2024 को इसका तिथि का निर्धारण किया गया था और फिर चुनाव के चलते इस जनसुनवाई को निरस्त किया गया, जो जनसुनवाई आज आयोजित हो रही है। केन्द्रीय वन, पर्यावरण ये कहता है कि ई.आई.ए. नोटिफिकेशन जमा करने के 45 दिवस के अंदर राज्य सरकार को जनसुनवाई का आयोजन करवाना चाहिये अगर राज्य सरकार किन्ही परिस्थितियांवश जनसुनवाई का आयोजन नहीं करवा पाती उन परिस्थितियों में केन्द्रीय वन, पर्यावरण मंत्रालय एक समिति का गठन करेगा और वो समिति जनसुनवाई का आयोजन करवायेगी, अगर उस आधार पर हम देखे तो आज की जनसुनवाई राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से ही बाहर है और इसलिये इस जनसुनवाई को निरस्त कर देना चाहिये। मैडम मैं कंपनी के ना समर्थन में ना विरोध में अपनी बात कहने के लिये नहीं आया हूँ, हम पर्यावरण के मुद्दे पर जो यहा का प्राकलन बना है उस प्राकलन में ऐसी कौन सी चीजे है जो छुट गई है और जिनका प्रभाव जन–जीवन पर व्यापक पैमाने पर पड़ेगा उसके सबमिशन के लिये

अपनी बात को कह रहा हूँ। मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड है जो नाम देलारी का है, स्थापित सराईपाली की जमीन पर है जहां 5वीं अनुसूची पेशा क्षेत्र के अंदर ये स्थापित है और जनसुनवाई नॉन पेशा एक्ट क्षेत्र के अंदर हो रही है। परसो छत्तीसगढ़ सरकार के जो पंचायत सचिव है उन्होने मुझे फोन किया और पुछा कि आपके जिले के अंदर पेशा कानून एक्ट कितना लागू किया गया है मैं बोलो साहब मेरे जिले के अधिकारी ही नहीं जानते कि पेशा एक्ट कानून क्या है? और जरूरत इस बात की है कि पेशा एक्ट कानून का अभी पूरे जिले में ग्रामसभा चल रही है उसमें अंतिम पैराग्राफ में लिखा गया है। जो सचिव जिला पंचायत तमनार है उनका लेटर देखा कि पेशा एक्ट कानून का प्रचार–प्रसार किया जायेगा और स्थिति ये बनी की कल तक मैं 30 से ज्यादा ग्रामपंचायतों में गया जहां अभी ग्रामसभा चल रही थी वहाँ पेशा एक्ट कानून पर एक शब्द भी नहीं बोला गया। राज्य सरकार का हर जिले के कलेक्टर को लेकर दे दिया, कलेक्टर सी.ई.ओ. जिला पंचायत को दे दिया, सी.ई.ओ. जिला पंचायत जनपद पंचायत को दे दिये, जनपद पंचायत ग्रामपंचायत को दे दिया और ग्रामपंचायत के जो सचिव है उसको पेशा एक्ट कानून खुद ही नहीं मालूम है तो क्या प्रचार–प्रसार करेगा। मैं पेशा एक्ट कानून का पत्र लाया हूँ। आप पेज क्रमांक 14 अध्याय 5 प्राकृतिक संसाधनो जल, जंगल, जमीन के प्रबंधन, पर्यवेक्षण, संवर्धन की निगरानी 5वीं अनुसूची क्षेत्र की ग्रामपंचायत करेगी और उसी के पेज क्रमांक 15 में ये लिखा है कि अगर कोई उद्योग या खनन क्षेत्र उस क्षेत्र के नदी, तालाब को प्रभावित करते है तो पेशा एक्ट कानून के तहत ग्रामसभा उसको बंद करने का निर्देश दे सकती है और अगर 15 दिन के अंदर कार्यवाही नहीं होगी उन परिस्थितियों में ग्रामसभा उस पत्र को जिले के कलेक्टर को देगा और जिला का कलेक्टर वो विधिसम्मत कार्यवाही करेगा और मैडम यहा जनसुनवाई हो रही है यहाँ की बहुत अच्छी कहानी है शायद आप यहा दो ढाई साल रहने के बाद भी आपको मालूम नहीं होगा आज बता देता हूँ। यहा इस जमीन के असली मालिक है तारकेश्वर नायक आत्मज हरिराम नायक जो यहा के राजा चक्रधर सिंह के कानूनी सलाहकार वकील हुआ करते थे उनको राजा ने ये दान दिया था यहा की जमीन थी 1185 हेक्टेयर उनको ये जमीन मिली थी। मैं जिंदगी का पहला काम इसी क्षेत्र में चालु किया तो 1993 में जब चालु किया तो ये शिवपुरी गांव में मैं यहा का ग्रामयोजना बनाने आया तो गांव के लोग बताये कि इस जमीन में मैं जो बसा हूँ ये जमीन हमारी नहीं है ये तारकेश्वर नायक अगर जब यहा अगर आप काम भी करेंगे तो काम नहीं कर पायेंगे उसके बाद सूचना का अधिकार उस जमाने में नहीं था परन्तु अपने सोर्स से इस क्षेत्र की जानकारी को निकाला और वो जानकारी की रिपोर्ट मैने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दिल्ली और मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग को भेजा उस समय राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष थे गुलाबचंद गुप्ता जब ये शिकायत हमारी मानव अधिकार आयोग को गई तो उन्होने कलेक्टर से रिपोर्ट मांगा उस समय पर तात्कालिन कलेक्टर से शैलेन्द्र सिंह और कमिश्नर थे हर्षवंधन यहा से एक गोल–गोल हमारे तहसील रायगढ़ से रिपोर्ट मानव अधिकार आयोग को चली गई आज तरीके का कोई केस नहीं है इसके बाद पूरी जानकारी मैने उनको कोरियर किया तो दो महीने गुलाबचंद गुप्ता स्वतः इस जमीन की जांच करने आये और रायगढ़ के सर्किट हॉउस में रूके और

हम लोगो को बुलाया गया, शिवपुरी के लोगो को बुलाया गया। सीलिंग एक्ट के तहत यहा की 805 एकड़ जमीन तारकेश्वर नायक से निकाली गई थी उसके बाद ये जमीन करीब 34 परिवार जो शिवपुरी के भूमिहीन थे 4 परिवार देलारी के और 4 परिवार आपके गेरवानी के इनको 1–1 हेक्टेयर जमीन सीलिंग एक्ट के तहत भूमिहिनों और आदिवासियों को दी गई, ये कही ई.आई.ए. में नहीं है, दादा को भी मालूम नहीं होगा। अब ये बताईये कि सिलिंग एक्ट की जमीन खरीदी बिक्री हो सकती है क्या? और जब ये खरीदी बिक्री नहीं हो सकती तो आपको बता दूं कि जिनकी जमीन सिलिंग एक्ट 1–1 हेक्टर जमीन जिनको मिली उन आदिवासियों की जमीन की भी यहा खरीदी बिक्री हो गई और आपको बता दूँ कि अभी एक मैने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बाद हमने अंतराष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को एक पत्र लिखा था यहा के 170ख के मामले को वो भी कागज मैं लाया हूँ। वो लेटर को मैने लिखा तो अंतराष्ट्रीय मानव अधिकार भारत सरकार को लिखा कि आपके यहा आदिवासियों की गैर अनुमति के जमीन की खरीदी बिक्री की गई है और उनके जमीन को लुट की गई है इसपर संज्ञान ले। शायद ये पत्र छत्तीसगढ़ सरकार को मिला है इन्होने गोल–गोल अपना संज्ञान लिया 170ख के मामले में और आपको बता दूँ कि अंतराष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत के राष्ट्रीय मानव आयोग को इस मुद्दे को लेकर अभी 15 दिन पहले मान्यता खत्म कर दी आदिवासियों के मुद्दो को लेकर और अभी वो स्वतः इस पूरे मामले में संज्ञान ले रहे है। रायगढ़ जिले में 1656 ऐसे आदिवासी है जिनकी जमीन उद्योगो में, खदानों में गैर आदिवासियों के नाम से ली गई है और अगर ये दस्तावेज आपके पास होने चाहिये नहीं होगा तो बताईयेगा सब की रजिस्ट्री मैं रखा हूँ आपको दे दूंगा तो जिस तरीके से उल्लंघन हो रहा है अभी यहाँ शिवपुरी के काफी लोग समर्थन कर रहे थे और परसो इसी शिवपुरी के लोग कलेक्ट्रेड गये थे मेरे को बुलाये थे और इन्होने कहा की कलेक्टर साहब से मेरे को मिलना है क्योंकि कंपनियों ने मेरे गांव का रास्ता बंद कर दिया है, घेराव कर दिया है वो एक बार हम भी इनको आपके पास लेकर गये थे और आज स्थिति ये है की पूरी बाउण्ड्री बनी है 12 फीट की। दुसरा एक फारेस्ट अधिनियम है, फारेस्ट अधिनियम में अगर राजस्व के भूमि में एक हेक्टेयर जमीन में 218 पेड़ से ज्यादा पेड़ है तो वो क्षेत्र रिजर्व फारेस्ट के दायरे में आता है, तो आदिवासी का जमीन, सरकारी जमीन, छोटे झाड़ के जंगल पर कब्जा, नदी, नालो पर कब्जा और एक तरफ बोलते है जंगली जानवर नहीं है तो आपके 10 किलोमीटर के रेडियस में जाइये सामारूमा के पास एक हाथीवाच टावर बना है, एक हाथीवाच टावर घरघोड़ा–तमनार रोड में बना है तो यहा जंगली जानवर नहीं है तो वो किसको देखने के लिये टावर 25–25 लाख के बनाये गये। मैडम एक और मजे की बात बता दूं, 4 करोड़ रूपये रायगढ़ में 2020 तक में हाथियों के द्वारा फसल और घर के विस्तार में मुआवजा दिया गया, तमनार में भी काफी लोगो को दिया गया इसी क्षेत्र में और लगभग इस क्षेत्र में हाथी के कुचलने से अब–तक 6 लोग मर चुके है। सराईपाली में चौराहा जो लोग है जो जानवर खरीदी बिक्री का काम करते है उनकी भी मृत्यु हाथी कुचलने से यहा हुई, परन्तु हाथी नहीं है, जब मैने आर.टी.आई. में जानकारी निकाला की हाथियों की क्षतिपूर्ति कितनी बाटी गई तो बड़े मसक्कत के बाद डी.एफ.ओ. साहब ने वो जानकारी दिया और उन्होने

कहा की सभी भुगतान चेक द्वारा किये गये और आप जानते है मैडम क्या था? उसमें 20 लोग ऐसे निकले जिनका मुआवजा क्षतिपूर्ति का 7 रूपये, मैने डी.एफ.ओ. साहब से पुछा ये हाथी का चित्र देखने का मुआवजा है कि लाभ सुनने का है कि कहे का मुआवजा है, आप चेक काटे, चेक की किमत कितनी होगी फिर आप 7 रूपये का चेक दिये फिर वो बैंक गया होगा फिर जमा हुआ होगा फिर आपके द्वारा पुरस्कृत किया हुआ 7 रूपये वो पाया होगा आप भी पेट्रोल फुके होगे आने–जाने में, कागज बनाने में तो उससे अच्छा आप 1 किलो के चाकलेट का पैकेट खरीद लेते और जिनके–जिनके किसानो की क्षतिपूर्ति हाथियों ने की है 2–2 चाकलेट दे देते उनके बच्चे खुश, बोले त्रिपाठी जी मैं इसकी जांच करवाउंगा। जो बड़े पॉलिटिकल लीडर के आस–पास रिश्तेदार उसी के बगल के जमीन का मुआवजा किसी का 4500, 4200, 4700, 5000 ऐसे बना। परन्तु गरीब आदमी का मुआवजा 7 रूपये, 10 रूपये, 13 रूपये आज भी वो जानकारी मेरे पास रखी है मैं आपको दे सकता हूँ आप भी सोचेंगे ये सरकार क्या है। कल आपके एक बड़े जो यहा के आई.ए.एस. जो रिटायर्ड हो चुके है वो अभी अडानी के छत्तीसगढ़ मैनेजमेंट के स्टेट हेड है, कल वो मेरे पास मिलने आये हुये थे शाम को 7 बजे की आप कोरबा वेस्ट की जनसुनवाई का समर्थन कीजिये। बड़ी शर्म आती है कि एक आई.ए.एस. जो अपने कुर्सी के सामने ऐसे लोगो को ही बैठने देता वो रिटायर्ड होने के बाद उनके यहा मजदुरी करता है, मजदुर तो है रहे होंगे चीफ सेकेट्री, रहे होंगे आई.ए.एस. और आज स्थिति ये है, अंकुर साहब को परसो मैं एक फोटो भेजा था केलो नदी में जिंदल पॉवर प्लांट का गंदा पानी आ रहा था अप साईड का पॉवर प्लांट था दुर्भाग्य यह था कि वहा महिलाये नहा रही थी मेरे से फोटो खीचते नहीं बना उसका डाउन स्ट्रीम का फोटो पुल और पॉवर प्लांट का भेजा वहा महिलाये और 4–4 साल के बच्चे नहा रहे थे अब बताईये उनके स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ेगा और लगता है हम सब इतने ज्यादा दबाव मे है, हम इतने मजबुर हो गये है ना तो हमारा कोई चरित्र है ना कोई मूल्य है। उद्योग लगना चाहिये लगे उद्योग इस देश के लिये विकास के लिये उद्योग की आवश्यकताए है, परन्तु ये बताईये कि जो पर्यावरण मंत्रालय से इतनी सब मेहनत के बाद स्वीकृतियां जब मिलती है जिस शर्तो के आधार पर स्वीकृतियां मिलती है जमीनी लेबल पर उसका कितना पालन होता है। अभी कल, परसो एन.जी.टी. की एक टीम आई थी एन.जी.टी. ने भी एक ऐसा टीम बनाया कि चोर के हाथ में ही चाबी दे दिया। 11 बजे एन.जी.टी. की टीम नगरपालिका के जो आयुक्त है उनसे बात किया 12 बजे वहा से निकले कार में 1 घंटे में जांच करके होटल में बढ़िया खाना खाये और दूसरे टाईम कोरबा चले गये और केलो नदी की पूरी जांच हो गई, रायगढ़ में जो कचरे पड़े है यहा, वहां उसकी पूरी जांच हो गई और उस जांच टीम में कौन था जो विगत 20 साल से छत्तीसगढ़ के अंदर भ्रष्टाचार करके गंदगी फैलाया वो उनका सदस्य था। कौन जांच करेगा, कौन कार्यवाही करेगा। इस साल मैडम एक रिपोर्ट पी.एच.ई. विभाग का निकला था 468 हैण्ड पंप अभी मई–जून में ड्राई हो गये थे अप्रैल–मई–जून और वो क्यों हुये। अभी जयंत भाई क्या बोल रहे थे कि 23 जनवरी 2024 को पानी की मान्यता खत्म हो गई और अगर पानी की मान्यता नहीं है तो उद्योग कैसे चल रहे है और जो केलो वृहद परियोजना है वो तो कहती है कि ये किसानों के लिये सिंचाई परियोजना है,

उनकी ई.आई.ए. में लिखा हुआ है कि केवल सिंचाई उपयोग के लिये पानी दिया जायेगा तो रायगढ़ इस्पात को कैसे मिल जायेगा और अभी आप एरिगेशन विभाग के हेड से पता लगाईये कि इन उद्योगों के ऊपर कितना जलकर बकाया है कि ग्राउण्ड वाटर पानी 1500 फीट का बोर कर लोगे 20 एच.पी. का पंप डाल दोगे उससे पानी निकालोगे आस–पास के जो है वो ड्राई डाउन हो रहे है, वहां पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आज कल तो जल जीवन मिशन है एक गांव में अभी मैं गया था धरमजयगढ़ का सिसरिंगा गांव है उसकी एक बस्ती है प्योर आदिवासी है वहां 60 घर है मैडम मजे की बात यह है कि वहां बड़ा ऊंचा एक टावर बना है टावर में 3 पानी की टंकी रखी है, सौर उर्जा की प्लेट भी लगी है परन्तु नीचे कही बोर नहीं है, बोर है ही नहीं और वो टंकी लगाके ठेकेदार जब से गया है कोई अधिकारी, कर्मचारी उसको देखने नहीं गया और वहां के लोग नाले का पानी पी रहे है सिसरिंगा से आप इधर से जायेंगे लेप्ट में कभी जाईयेगा 3 किलोमीटर अंदर फस्ट गांव है वहा जाईये देख लीजिये अगर मैं झुठ बोल रहा हूँ तो, परन्तु ठेकेदार को पूरा भुगतान हो गया है बोर का हो गया, खनन का हो गया और इस बात की जानकारी मैं एस.डी.एम. धरमजयगढ़ को दिया भी हूँ, फोटो भी भेजा, विडियो भी भेजा, कागज भी दिया जो कि जाते समय मैं एस.डी.एम. साहब के पास बैठा उन्होने बोला सिसरिंगा बहुत अच्छा गांव है वहां घर–घर नल–जल योजना है और सब को पानी मिल रहा है मैं बोला ठीक है सर देख लेते है सरकारी स्कूल के बोर में जाकर टंकी के लिये कनेक्शन कर दिया और वो बोर धस गया उसकी वजह से स्कूल के बच्चों के पीने के लिये पानी नहीं है और जब हम इस डेवलपमेंट की बात कर रहे है चलिये यहीं की बात कर लेते है गेरवानी से सराईपाली जो रोड है ये रोड प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना की है इसमें आपके नियम के मुताबिक 12 टन से ज्यादा भारी वाहन नहीं चल सकते ये 60–60 टन के जो वाहन चलेंगे ये किस रास्ते से आयेंगे और वो कच्चा माल कहाँ से आयेगा और जो यहाँ से बनेगा वो किस रास्ते से जायेगा आपका नियम तो कहता है प्रधानमंत्री सड़क में 12 टन से ज्यादा भारी वाहन चल ही नहीं सकते क्या कंपनी अलग से सड़क बनायेगी अपने प्लांट में कच्चा माल लाने के लिये और बना हुआ माल को वो करने के लिये। कंपनी के पास अपना एश डाईक आज तक नहीं बना है और जो बिजली का उत्पादन करेंगे कुछ हिट पॉवर से करेंगे, कुछ डायरेक्ट करेंगे, बुनियादी सवाल यह है कि उस पॉवर प्लांट से निकलने वाली राख को कहां रखोगे ये तो बता दो। 55 हजार रोज ईटा बनायेंगे, यहां ईटा खरीदेगा कौन, स्थिति तो यह है कि गांव ही नहीं रहेंगे। आपके ई.आई.ए. के मुताबिक यहा सराईपाली गांव में जयंत भाई बोल रहे थे कि अध्ययन नहीं हुआ है उस गांव में सिलिका पिसने का एक उद्योग है जहां सराईपाली गांव के भुईकुर्री के और बरपाली के वहां मजदुरी करने जाते थे और 2015 में हम एक कैम्प लगवाये थे वहां लोगो के स्वास्थ्य परीक्षण का 48 में से 29 लोग वहां सिलिकोसिस के मरीज पाये गये थे और जिसमें से 14 लोग, 18 लोग गंभीर थे और उनमें से 14 लोग अब तक मर चुके है उनमें से एक बच्चा जो अपनी मॉ के लिये खाना लेकर जाता था वो बच्चा भी 14 साल का सिलिकोसिस के प्रभाव में आया और उसकी भी मौत हो गई और आपके ई.आई.ए. रिपोर्ट के अंदर कहीं भी सिलिकोसिस शब्द तीन–चार बार मैं पढ़ चुका शायद धोखे से

कहीं छुट गया हो उसको पर्यावरण विभाग ने ग्रामपंचायत के ग्रामसभा के निर्णय के आधार पर यहा शर्मा सर थे तब उन्होने बंद किया था शायद वो फिर चालु हो गया, बड़े लोग है, बड़े लोगो को परमिशन मिल जाता है, सरकारे दिलवाती है। आज का तो मैं सुना हूँ यहा के बड़े नेता है उनके दोस्तो का वो प्लांट हो गया है, अनुमति में कोई दिक्कत नहीं है तो लोगो के साथ जिस तरीके से मौत का खिलवाड़ कर रहे है। अभी 100 महिलाये बोली उनमें से आपने देखा होगा कि कितनी महिला अनियमित और कुपोषित है उसमें कितने बच्चे और बच्चियां अनियमित और कुपोषित है। 12 साल, 15 साल, 18 साल की भी लड़कियां आई है ना उनके चेहरे में कहीं मुस्कान है क्या, एक सोचा, समझा, रटा, रटाया बता दिया कि हम कंपनी को समर्थन करते है बेचारी आई गई, दिहाड़ी करने वाले लोग है, दिहाड़ी करते है आज मिट्टी खोदना नहीं पड़ेगा चलो समर्थन है बोल देते है मजदुरी मिल जायेगी, ठीक–ठाक खाना मिल जायेगा तो ये हमारे लिये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और हमारे यहा तो बहुत अच्छा है हमारे तहसीलो में एक एकड़ जमीन कराओ रजिस्टर्ड को 1 लाख रूपये दीजिये और 5–5 डिसमिल का 20 खाते करवा लीजिये, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ आप बोलिये मैं 200 लोगो को लेकर आ जाता हूँ जिन्होने जमीन लिया और जमीन बेचा, 1 लाख रूपये पर खाते का भुगतान होता है हमारे तमनार तहसील में, आदिवासी की जमीन हो, गैर आदिवासी की जमीन हो सब की रजिस्ट्री हो जाती है, जो कि हमारे यहा श्याम धावड़े साहब एडिशनल कलेक्टर आपके पद पर रहे है बस्तर में आदिवासी की जमीन को कलेक्टर को अनुमति देने का पॉवर नहीं है हाई कोर्ट ने भी आदेश किया परन्तु भीमसिंह कलेक्टर के समय पर हमारे यहां जिले में आदिवासी की जमीन बिक गई और वहाँ भी कलेक्टर ने बस्तर में अनुमति दिया कमिश्नर श्याम धावड़े ने उसको रोका सामने वाला पैसे वाला था वो उस केस को हाईकोर्ट लेकर पहुंच गया और हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को शून्य कर दिया और मूल आदिवासियों को जमीन वापस कर दिया। कल हम साहब को यही बोल रहे थे कि साहब दो लोग जबतक सरकारी पद में रहते है और अच्छे नेता रहते है अच्छें पद में तब उनपर समाज में ध्यान नहीं आता जब ये रिटायर हो जाते है तब इनको समाज की पिड़ा दिखने लगती है और अपने जाति, सगा, समाज के लिये भी समाज सेवा करते है नहीं तो अपनी सेवा में अपने परिवार का मैं देखता हूँ एक आदिवासी अधिकारी अपने ही आदिवासी अधिकार किसान के जमीन को गैर आदिवासी को बेचने की रजिस्ट्री करता है फिर वो रिटायर हो जायेगा तो नौकरी के पहले बेईमान था पैसा ले रहा था और मेरा काम कर रहा था रिटायर होने के बाद मेरा कोई रिश्तेदार तो है नहीं तो मैं क्यो पुछु तो वो अपने गांव जाता है तो कहता है आदिवासियों को बहुत शोषण होता है, बहुत अत्याचार होता है। कुछ रिटायर आदिवासी है अब उनको भ्रष्टाचार दीखने लगा, आपके कोषालय में सर्विस बुक के बदले वो बोला आपका पैसा दे दूंगा परन्तु 10 प्रतिशत लगेगा अभी 4 दिन पहले वो रिटायर अधिकारी, कर्मचारी बोला कितना भ्रष्टाचार है त्रिपाठी जी हमारे ही पैसे को लेने के लिये हमको ही 5000 देना पड़ता है, मैं बोला ऐसा नहीं है आप अपने जीवन में आज तक किसी को पैसा ही नहीं दिये हो आज तक केवल लेते रहे हो ना। रिटायर होने के बाद अब आपको देना पड़ रहा है इसलिये बहुत भ्रष्टाचार है, बेईमानी को शिष्टाचार है और

उस शिष्टाचार के दायरे में आप थी थे उस व्यवस्था के हिस्सा आप भी थे और मैं भी हूँ, हम सब है। जब लेना होतो है तो शिष्टाचार नहीं होता, भ्रष्टाचार नहीं होता परन्तु जब देना होता है तो भ्रष्टाचार हो जाता है और इसी पूरे तारतम्य को अगर देखे अभी भी कंपनी बोल रही है कि हम ग्रीनरी करेंगे, हरियाली करेंगे ये कंपनी कम से कम 15–20 साल से स्थापित है और 20 साल पहले मैं अपने घर के सामने पेड़ लगाया था जो 30–30, 40–40 फीट के सागौन हो गये है अगर ये भी उस समय ग्रीनरी ईमानदारी से कर दिये होते तो इनको आज ये नहीं कहना पड़ता की हम हरित पट्टिका बनायेंगे आज वो पेड़ कम से कम जो फल वाले है वो फलने लगते जो ईमारती है वो उसमें ईमारती होता और लोग नहीं लगाते। हमारे यहा उद्यान विभाग में एक बार 16 क्विंटल अमरूद का बीजा खरीदा और उसने कहा कि हम अपने जंगलो में और किसान को फलदार वृक्ष लगाने के लिये देंगे और सोचिये 16 क्विंटल बीजा मैं बोला जितना बीजा 10 बाई 10 के दूरी में अगर पेड़ लगा दो तो छत्तीसगढ़ की जमीन कम है। जमीन कहां से लाओंगे, कहा लगाओंगे अमरूद तो ये स्थितियां जिस तरीके से इस पुरे क्षेत्र में निर्मित हो रही है अभी भी साहब मैं बोल रहा हूँ कि लोगो की जिंदगी को बचा लीजिये, नहीं तो रिटायर होने के बाद आप अपने आपको धिक्कारोगे जहां कही भी दुनिया में रहोगे और आपको लगेगा कि हम जरूरतमंद और गरीबो के साथ जिस दिन तक हम अपने पद मे बैठे रहे गलत के सिवाय कुछ नहीं किये। कम से कम अगर क्या होगा आपका ट्रांसफर हो जायेगा, रायपुर मंत्रालय चले जायेंगे अपने विभाग में ना, तन्ख्वाह में तो कमी नहीं आयेगी कि वहां जाने से 10 प्रतिशत आपकी तन्ख्वा कम हो जायेगी, ज्यादा से ज्यादा दो बच्चे होंगे, पत्नी होगी, आप होंगे, बुढ़े मॉ–बाप होंगे उनका पेट भरने के लिये सरकार आपको पर्याप्त तन्ख्वा देती है। इस साल की गर्मी में आप हीटवेब यहा का देख लीजिये 46.7 था जो लोग ए.सी. और कमरे जिनके पास कुलर है वो ठीक है परन्तु 46 और 47 सेल्सियश में जो लोग काम करते है उस टेम्प्रेचर में उनके जगह पर आप अपने आप को खड़े करके देखीये और सोचिये आप भी किसी किसान के बच्चे है, आप भी जरूरतमंद के बच्चे है, आज स्थिति ये है हम सब अपने नियमों को पालन नहीं करवा पाते, इतना पोलिटिकल प्रेसर लोगो के ऊपर, हर आदमी के ऊपर प्रेसर है तो मुझे लगता है पूरी ई.आई.ए. में आंगनबाड़ी के बच्चो का कोई डाटा नहीं है। यहा से आधा एक किलोमीटर दूर में गेरवानी का हायर सेकेण्ड्री स्कूल है यहा 500 बच्चे पढ़ते है कही नहीं तो कम से कम उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर लेना चाहिये, किसी आंगनबाड़ी का कर लेते, शिवपुरी में आंगनबाड़ी प्राईमरी स्कूल है यहा के बच्चों का हो जाता, उन बच्चो का स्वास्थ्य कैसा है जब कंपनी लग जायेगी, जब विस्तार हो जायेगा, यहां कैम्प लगायेंगे और फिर जिंदल हास्पिटल जैसे मरे हुये आदमी को तीन दिन उसमें रखेंगे और 5 लाख, 7 लाख गरीब मॉ, बाप को बिल पकड़ा देंगे और बोलेंगे पैसा नहीं दोगे तो लास नहीं देंगे और वो हास्पिटल सी.एस.आर. का है, ये स्कूल सी.एस.आर. के है जहां के.जी.1 की फीस 40000 जिंदल में लगती है दादा 4000 महिने का, आप जिंदल स्कूल में 10वीं तक अपने बच्चों को पढ़ाकर बता दीजिये और वो बना है सी.एस.आर. मद में। बड़े–बड़े जिंदल को दिल्ली में अवार्ड मिलते है, सी.एस.आर., पर्यावरण, तिरंगे झंडे के मसीहा और 4200 कोयला चोरी की बात कोई नहीं करता तमनार का पुरा कोयला

खोदकर लेकर बेच डाले। इसलिये मैं यह कहता हूँ दादा कि आप जब फाईनल क्रिटिक बनाईये ये तो क्रिटिक ई.आई.ए. है ये पब्लिक डोमेन में इसलिये लेकर आये है कि इसमें कोई चीज छुटी है उसको जोड़ा जाये और फाईनल ई.आई.ए. के लिये भेजा जाये। कम से कम यहा दुर्घटनाओं में छत्तीसगढ़ में अगर सबसे ज्यादा मौत होती है पूरे भारत में तो वो रायगढ़ में। लगभग 73 मौते सड़क दुर्घटनाओं में हर महीने है, हम यातायात व्यवस्था को देते है मेरी जो सड़के है रायगढ़ में उसमें 5000 वाहन चलने की क्षमता है और 15000 उसमें 15–15, 20–20 चक्के के ढंफर चलते है और बहुत सरल तरीके से ये कह दिया जाता है कि लोग शराब पिते है इसलिये दुर्घटना होती है। अरे एक गुरूजी अपने ससुराल माँ, बेटी को 11 बजे दिन में लेकर जा रहा है वो दुर्घटना में माँ, बेटी सब मर गये तो क्या दिन में 11 बजे ससुराल शराब पीकर जायेगा। क्राईम का रेशियो साहब इतना है कि जब 1988 में मैं आया था जितना अपराध पुरे जिले में पहले हाता था अब हर महीने हर थाने में होता है तो अगर उद्योग आये है तो क्राईम बढ़ा। 1 लाख 42 हजार रायगढ़ के रोजगार कार्यालय में बेरोजगार रजिस्टर्ड है। और अभी आपको बता दूं एक और मजे की बात सुन लीजिये अभी नवीन जिंदल जब कुरूक्षेत्र से चुनाव लड़े तो वहा जब उन्होने वोट मांगा तो वोट के बदले पैसा दे रहे थे तो लोगो ने कहा नोट नहीं नौकरी चाहिये तो चुनाव के पहले हरियाणा के कुरूक्षेत्र में 4000 युवाओं को रायगढ़ के उद्योग में ज्वाईनिंग भी दे दी। 4000 सिक्यूरिटी गार्ड से लेकर, चौकीदार से लेकर बाबू, चपरासी परन्तु यहाँ के लोगो के लिये रोजगार नहीं है और यहाँ जितने लोग बैठे हुये है सब उनकी उम्र 18 साल से लेकर 30, 35, 40 के बीच में है। हमारे यहां एन.जी.टी. ने शिवपाल भगत के उसमें आदेश किया है कि तमनार और घरघोड़ा माईनिंग क्षेत्र के अंदर हर दो महीने में स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क होगा और उनको दवाईयां दी जायेंगी। मैने आर.टी.आई. में तमनार के सी.एम.ओ. से जानकारी निकाला तो उन्होने एक डॉक्टर, दो नर्स और एम्बुलेंस करके एक समिति बनाई इस पूरे क्षेत्र में कि इस–इस तारीख को कैम्प लगेगा जब उसको मैडम मैने क्रास किया तो उस पूरे क्षेत्र में एक भी स्वास्थ्य कैम्प नहीं लगाया गया और आपको बता दूं कि कल मान लीजिये आज वहां कैम्प लगाना है और लेटर मैडम उस ग्रामपंचायत में सरसमाल में कोसमपाली में लेटर कल पहुंचा। कैम्प आज लगाना है लेकिन लेटर वहा के सरपंच को कल पहुंचा और फिर कोई कैम्प नहीं लगा तो परिस्थितियां जो निर्मित हो रही है जिस तरीके से लोगो की मनमानी हो रही है और रायगढ़ में देख लीजिये सब लोग ईमानदारी की बात करते है जिस उद्योग से बात करता हूँ वो बोलता है मेरे जैसे ईमानदार और सुंदर कुछ नहीं है और हमारे यहा जी.एस.टी. में छापा रोज पड़ता है महिने में दो तो पड़ ही जाते है, इन्कमटैक्स के छापे पड़ते है, ई.डी. और सी.बी.आई. के छापे पड़ते है। छत्तीसगढ़ बनने से पहले ई.डी. और सी.बी.आई. नहीं सुना था और हम रोज पेपर में पड़ते है। ऐसे लोगो को बिल्कुल नहीं आने दिया जाये, शराब पीकर बिल्कुल भी होश में नहीं है इसको अंदर करवाईये, एम.एल.सी. भी करवाईये और अंदर भी करवाईये ये सार्वजनिक जगह है तो ये बाते थी मैडम और दूसरा मैं यह कह रहा हूँ कि परमिशन के पहले आदिवासियों की जमीन का जांच तो जरूर होना चाहिये, यहाँ एस.डी.एम. साहब भी होंगे, इस क्षेत्र के तहसीलदार साहब भी होंगे अगर उनको सूची

चाहिये तो आदिवासियों की जमीन गया है आदिवासियों के नाम से खरीदी गई थी। पेशा एक्ट कानून यह भी कहता है एग्रीकल्चर जमीन को अगर कोई आदमी 5वीं अनुसूची क्षेत्र में लेता है तो उसको 10 ईयर तक उसका एग्रीकल्चर से नान एग्रीकल्चर में डायवर्सन नहीं होता था और हमारे यहा ये जमीन अभी डायवर्सन नहीं है, एग्रीकल्चर लैण्ड है परन्तु इतने धड़ल्ले से उद्योग लग जाते है कि इनकी कभी कोई जांच नहीं होती तो मुझे लगता है कि इन सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये और फिर यहा की जो पर्यावरण की परिस्थितियां है चाहे वो जल प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, यहा की जो दुर्घटना है, यहा की जो सड़को की क्षमता है उन सभी तथ्यों को देखने के बाद केन्द्रीय वन, पर्यावरण मंत्रालय को पर्यावरणीय अनुमति देने पर विचार किया जाना चाहिये। आप हमको अपनी बात रखने के लिये अनुमति दिये इसके लिये बहुत–बहुत धन्यवाद। और मैं अपने उस भाई से अनुरोध करूंगा कि अगर मैंने कुछ आपको अपशब्द या ऐसा कुछ बोला हूँ तो उस बात के लिये माफी चाहूंगा, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में मैं विगत 30 सालो से लोगो के बीच में काम किया हूँ सभी लोगो को जानता हूँ किसी के पिताजी को, किसी के भाई को ये पर्यावरण जनसुनवाई है इसमें सबको बोलने का हक है और अधिकार है ये जनसुनवाई के एक घंटे बाद मैं तो तुमको जरूर पहचानुंगा लेकिन शायद तुमको कंपनी के लोग नहीं पहचानेंगे। हम अभी जायेंगे तो गेरवानी में शायद आदमी शराब के नशे में कुछ बोल रहा है शायद वो मेरे साथ चाय भी पियेगा। इसलिये मैं बोल रहा हूँ कि इन सब मुद्दो को लेकर आपस में मनमुटाव नहीं होना चाहिये, संबंध लोगो के बीच में बने रहना चाहिये तो मैं माफी चाहूंगा अगर उनको कुछ बुरा लगा हो तो, सार्वजनिक जगह पर मैं माफी मांगता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिये और आने वाले समय में उनको भी विचार करना चाहिये।

440. सोहितराम, गेरवानी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
441. पुनीदास – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
442. पुनीराम, गेरवानी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
443. निर्मल – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
444. रूपधर – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
445. नवरोत्तम – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
446. पुनीदास – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
447. विश्वकर्मा – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
448. छोटु, गेरवानी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
449. गोविंदलाल, गेरवानी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
450. निलाधर – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
451. दुर्गादास – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
452. जयधर – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
453. विरेन्द्र, गेरवानी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

454. निलांबर, गेरवानी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

455. अनंतराम – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

456. समयलाल – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

457. हितलाल – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

458. टिकु, गेरवानी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

459. अजय कुमार, गेरवानी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

460. दयानंद, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

461. उत्तर – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

462. हरिलाल, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

463. प्रदीप, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

464. ओमकार तिवारी – आज मैं यहा रायगढ़ शहर से रायगढ़ इस्पात के समर्थन के लिये आया हूँ, मैं इन्हे 4–5 वर्षो से जानता हूँ। यहा कुछ भी होता था तो सहयोग दिलवाया। इस प्लांट के लोग शहर और यहाँ के लोगो के बारे में सोचते है। मैं समर्थन करता हूँ।

465. उपेन्द्र शुक्ला, सराईपाली – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

466. चंपा, सराईपाली – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

467. चंद्रकला, सराईपाली – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

468. अहिल्या, शिवपुरी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

469. लता – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

470. बसंती, शिवपुरी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

471. यशवंती – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

472. सुनिता, शिवपुरी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

473. माधुरी, शिवपुरी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

474. लक्ष्मी सिदार, शिवपुरी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

475. संतोषी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

476. चंद्रपाल – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

477. परदेशी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

478. मुकेश – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

479. कन्हाई राम सिदार – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है और मेरा निवेदन है पीठासीन अधिकारी से कि जिस गांव में उद्योग स्थापित किया जा रहा है उस गांव के लोगो ने समर्थन दे दिया है और उस गांव की जनता की दुःख–दशा को देखते हुये उनका रोजगार को देखना चाहिये। विस्तार के लिये कोई प्रतिबंध नहीं है। इस क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार दिया जाये।

480. त्रिलोचन, शिवपुरी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
481. रूपेश – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड़ पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
482. मोहन – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
483. नेतराम – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
484. दुकालूराम, शिवपुरी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
485. अर्जुन सिदार – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
486. भोगसिंह – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
487. भगतराम धनवार, शिवपुरी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।
488. राजेश गुप्ता, सराईपाली – विगत कुछ वर्षो से लगातार हमारे क्षेत्र में इतना ज्यादा विकास हो रहा है कि मत पुछिये। विकास के मायने इतना ज्यादा बदल गया है आप सोचने के लिये मजबुर हो जायेंगे, हमारे यहा पहले प्रधानमंत्री ग्रामसड़क हुआ करता था उसमें एक ट्रेक्टर ही चलता था आज इतना ज्यादा विकास हो रहा है की 60–60 टन की गाड़िया चल रही है इससे ज्यादा विकास और क्या हो सकता है। हमारे गांव में पहले छोटी–मोटी चोरिया होती थी अब दिनदहाड़े मर्डर और रेप चल रहे है पिछले दो दिन पहले सराईपाली में मेन रोड पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने अज्ञात व्यक्ति को चाकु मार दिया इससे ज्यादा विकास और क्या हो सकता है। विकास के मायने बदलते जा रहे है और विकास दिन–ब–दिन बढ़ता जा रहा है। यहां जब रायगढ़ इस्पात कंपनी खुली थी तो उस समय दो मालिक मिलकर एक कंपनी चलाते थे उनका विकास हुआ है और बहुत ज्यादा विकास हुआ है। आज देखे एन.आर. इस्पात कंपनी अलग बन गई उन्होने कई सारी कंपनियां खोल ली, रायगढ़ इस्पात तीन–चार कंपनियां खोल रही है उससे ज्यादा विकास और क्या हो सकता है तो विकास लगातार हो रहे है और इसी तरह से विकास होता रहे तो मानव जीवन खत्म हो जायेगा वो भी एक प्रकार से विकास ही होगा। आप समझ सकते है कि हमारे इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री, 33 डिग्री तक टेम्प्रेचर हुआ करता था लेकिन इस साल इतना ज्यादा विकास हुआ कि 47–48 डिग्री तक टेम्प्रेचर बढ़ गया इससे ज्यादा विकास और क्या कह सकते है बताईये। कंपनियों [illegible] आने से बहुत ज्यादा विकास होता है, लगातार विकास हो रहा है और होना भी चाहिये विकास। जितने [illegible] आप लोग है, अधिकारी है, जितने भी कर्मचारी है, कंपनी के जो लोग है उनका भी विकास हो रहा है [illegible] लोग भी टेम्प्रेचर झेल रहे है तो इस तरह का विकास हो रहा है वो सोचना चाहिये। हमारे इस क्षेत्र में ब[illegible] अच्छा जंगल था और पेड़ लगाने की बात की जा रही है, लगातार पेड़ लगाने की बात की जा रही [illegible] चर्चाये हो रही है पेड़ लगाया जाये और कंपनियों से जो राखड़ निकलता है फ्लाई ऐश जो निकलता है [illegible] फ्लाई ऐश को लेजाकर ये लोग जंगलों में डाल रहे है। मैं पर्यावरण अधिकारी से निवेदन करना चाहूं[illegible] जिस तरह से जंगलों में फ्लाई ऐश को निपटान किया जा रहा है उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवा[illegible] क्योंकि यहां जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ते हुये जा रहा है। गांव सराईपाली में तालाब है जहां म[illegible] [illegible] इसके लिये हम लोगो ने कलेक्टर के पास, पर्यावरण

480. त्रिलोचन, शिवपुरी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

481. रूपेश – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

482. मोहन – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

483. नेतराम – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

484. दुकालूराम, शिवपुरी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

485. अर्जुन सिदार – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

486. भोगसिंह – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

487. भगतराम धनवार, शिवपुरी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

488. राजेश गुप्ता, सराईपाली – विगत कुछ वर्षो से लगातार हमारे क्षेत्र में इतना ज्यादा विकास हो रहा है कि मत पुछिये। विकास के मायने इतना ज्यादा बदल गया है आप सोचने के लिये मजबुर हो जायेंगे, हमारे यहा पहले प्रधानमंत्री ग्रामसड़क हुआ करता था उसमें एक ट्रेक्टर ही चलता था आज इतना ज्यादा विकास हो रहा है की 60–60 टन की गाड़िया चल रही है इससे ज्यादा विकास और क्या हो सकता है। हमारे गांव में पहले छोटी–मोटी चोरिया होती थी अब दिनदहाड़े मर्डर और रेप चल रहे है पिछले दो दिन पहले सराईपाली में मेन रोड पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने अज्ञात व्यक्ति को चाकु मार दिया इससे ज्यादा विकास और क्या हो सकता है। विकास के मायने बदलते जा रहे है और विकास दिन–ब–दिन बढ़ता जा रहा है। यहां जब रायगढ़ इस्पात कंपनी खुली थी तो उस समय दो मालिक मिलकर एक कंपनी चलाते थे उनका विकास हुआ है और बहुत ज्यादा विकास हुआ है। आज देखे एन.आर. इस्पात कंपनी अलग बन गई उन्होने कई सारी कंपनियां खोल ली, रायगढ़ इस्पात तीन–चार कंपनियां खोल रही है उससे ज्यादा विकास और क्या हो सकता है तो विकास लगातार हो रहे है और इसी तरह से विकास होता रहे तो मानव जीवन खत्म हो जायेगा वो भी एक प्रकार से विकास ही होगा। आप समझ सकते है कि हमारे इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री, 33 डिग्री तक टेम्प्रेचर हुआ करता था लेकिन इस साल इतना ज्यादा विकास हुआ कि 47–48 डिग्री तक टेम्प्रेचर बढ़ गया इससे ज्यादा विकास और क्या कह सकते है बताईये। कंपनियों के आने से बहुत ज्यादा विकास होता है, लगातार विकास हो रहा है और होना भी चाहिये विकास। जितने भी आप लोग है, अधिकारी है, जितने भी कर्मचारी है, कंपनी के जो लोग है उनका भी विकास हो रहा है वो लोग भी टेम्प्रेचर झेल रहे है तो इस तरह का विकास हो रहा है वो सोचना चाहिये। हमारे इस क्षेत्र में बहुत अच्छा जंगल था और पेड़ लगाने की बात की जा रही है, लगातार पेड़ लगाने की बात की जा रही है, चर्चाये हो रही है पेड़ लगाया जाये और कंपनियों से जो राखड़ निकलता है फ्लाई ऐश जो निकलता है उन फ्लाई ऐश को लेजाकर ये लोग जंगलों में डाल रहे है। मैं पर्यावरण अधिकारी से निवेदन करना चाहूंगा की जिस तरह से जंगलों में फ्लाई ऐश को निपटान किया जा रहा है उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो, क्योंकि यहां जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ते हुये जा रहा है। गांव सराईपाली में तालाब है जहां मछलिया इतनी ज्यादा मर रही थी प्रदूषण की वजह से इसके लिये हम लोगो ने कलेक्टर के पास, पर्यावरण विभाग

में भी शिकायत की कार्यवाही के नाम पर केवल आश्वासन और उद्योगो को नोटिस ही दिया गया क्या यह सही है, क्या उन कंपनियों पर.एफ.आई.आर. नहीं होना चाहिये वो जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो जांच नहीं कर रहे है उन पर एफ.आई.आर. नहीं होनी चाहिये। आप समझदार है, पढ़े लिखे है आपको मैं क्या सिखाऊ। यहाँ जो शिक्षा के स्तर की बात है तो हमारे क्षेत्र में इंजीनियर है, डॉक्टर है उनको कोई प्रकार का नौकरी उस प्रकार से नहीं दिया जा रहा है जिस हिसाब से मिलना चाहिये, योग्यता के अनुसार नौकरी की बात जरूर की जाती है लेकिन योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं दी जा रही है। यहां 10 हजार, 15 हजार, अधिकतम 20 हजार रूपये सैलरी के रूप में उनको दिया जाता है जबकि कोई बाहरी व्यक्ति यहां काम करने के लिये आता है तो उन्हे ग्रामीणों की अपेक्षा ज्यादा पैसे दिये जाते है और रोजगार के लिये कभी कलकत्ता, कभी ओड़िसा में वैकेंसी निकाला जाता है और वहा के लोगो को लाकर यहा भर्ती किया जाता है क्या ये सही है आप समझ सकते है। भू–जल की बात करें तो हमारे गांव में 2–3 बोर होंगे और लगातार सरकार द्वारा भी कहा जा रहा है भू–जल का दोहन नहीं करें और जो पानी बह रहा है उसको रोका जाये लेकिन आप देख सकते है कि किस प्रकार से हर कंपनी में 20–20, 25–25 बोर खोदे गये है और उस पर किसी भी प्रकार का कोई शायद ही कही पर होगा हमने आर.टी.आई. पर इसकी भी जानकारी मांगी थी और विभाग का कहना था कि भू–जल दोहन हो रहा है। यहा रायगढ़ इस्पात कंपनी के जल के लिये केलो नदी से पानी लाने की बात कही जा रही है लेकिन कही पर पाईप लाईन नहीं बिछाया गई है। पाईप लाईन नहीं बिछाई गई है इसका जाहिर से यही बात निकलता है कि भू–जल दोहन करेगा और ग्राउण्ड वाटर का उपयोग करके हमारा जो पानी है उसको खत्म करेगा और उसको वाटर ट्रीटमेंट करके अगर उसको वहीं पर किया जाये और सड़को पर छिटा जाये, पौधो पर लगाया जाये शायद उस पानी का उपयोग भी हो सकता है लेकिन जो किलन का कूलर होता है उसमें लगातार पानी बहते रहता है वो व्यर्थ ही बहती रहती है उसमें किसी प्रकार की निगरानी नहीं रखी जाती। कुछ वर्षो पहले यहा पर जगह–जगह पानी को रोकने के लिये और उसको अंडर ग्राउण्ड तक पहुचाने के लिये सोकते गड्डे टाईप से छोटे–छोटे तालाब बनाये गये थे और जितने भी तालाब बनाये गये थे उन सभी तालाबो में आज की स्थिति में फ्लाई ऐश पाट दिया गया है। रायगढ़ इस्पात कंपनी के अंदर में भी एक वाटर टैंक बनाया गया था ताकि उस क्षेत्र के जल को अंडर ग्राउण्ड किया जा सके और भूमिगत जल पर किया जा सके उस कंपनी के द्वारा उसको भी कब्जा कर लिया गया है। भुईकुर्री रास्ते में एक तालाब है जहां पूरा फ्लाई ऐश पाट दिया गया है नवदुर्गा कंपनी के पीछे दो–तीन टैंक बनाये गये है उसे भी पूर्ण रूप से फ्लाई ऐश से पाट दिया गया है। आगे जायेंगे जंगलो की तरफ तो वहां आपको कई जगह फ्लाई ऐश देखने को मिलेंगे। गेरवानी से अगर हम रायगढ़ की तरफ निकले तो जो ढाबा पड़ता है ढाबा के किनारे से एक रास्ता गया है और जो सीधा केलो नदी में जाता है वहा पर लाखो टन फ्लाई ऐश डाल दिया गया है इसका जांच पर्यावरण विभाग या पर्यावरण अधिकारी को इसकी जानकारी है या नहीं है इसकी जानकारी मेरे को नहीं है लेकिन आज मैं आपको बताना चाहुंगा उस जगह पर आप जांच करें तो लाखो टन फ्लाई ऐश अभी भी मौजुद होगा। मैं

आपसे विनती करता हूँ एक बार आप उस जगह जाये वहां निरीक्षण करें और उस जगह जितने पेड़ मरे हुये है जितने उस क्षेत्र के जड़ी बुटिया या अन्य चीजे है वो किस प्रकार से खत्म हुये है उस जगह पर जितने कंपनियां फ्लाई ऐश डाली है उस पर उनके भरपाई करने की बात कहीं जाये और उन पर कार्यवाही की जाये ये मैं मांग करता हूँ। विकास में एक और चीज भी विकास हुआ है यहा पहले हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हुआ करते थे और यहा पर एक भी मेडिकल स्टोर नहीं था, हमको अगर कुछ दवाईयां खरीदनी होती थी या तो तमनार जाओ, घरघोड़ा जाओ या रायगढ़ जाओ लकिन सराईपाली गांव में आज 2 मेडिकल स्टोर है, गेरवानी में 4–5 मेडिकल स्टोर है तो इससे जाहिर है कि यहा किस प्रकार स्वास्थ्य पर विकास हुआ है आप जान सकते है। सिलिकोसिस जो गंभीर बीमारी पूरे छत्तीसगढ़ में कही भी डाईग्नोसं नहीं हुई थी उसका डाईग्नोस सराईपाली में हुआ है और मेरे सामने में ही कई महिलाये और बच्चे मरे है और लगातार हमने प्रशासन की आंखे खोलने का प्रयास किया है लेकिन किसी प्रकार कार्यवाही उस हिसाब से नहीं हुआ जिस हिसाब से होना चाहिये जब भी हम मेडिकल कॉलेज जाते है तब सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि इनके लिये दवाई की व्यवस्था की जायेगी लेकिन मजाल है की कोई कंपनी उन मरीजो के लिये दवाई की व्यवस्था करें। यहा पी.एच.सी. सराईपाली है वहा भी किसी प्रकार के दवाई की व्यवस्था नहीं की जाती है। एक तरफ तो लगातार बीमारी फैलाने के लिये ये कंपनियां कृत्य कर रही है और बीमारियां फैला रही है लेकिन उनके निदान के लिये, उनके ट्रीटमेंट के लिये जो कार्य करने चाहिये वो नहीं कर रही है। कंपनियों में जो काम करने वाले मजदूर है उन पर भी लगातार स्वास्थ्य जांच करनी चाहिये लेकिन किसी प्रकार का स्वास्थ्य जांच नहीं किया जा रहा है। यहां जो कंपनी है जो गोल्डन रिफैक्ट्रीज के नाम से पहले चलती थी अभी उसका नाम बदलकर उसको पुनः चालु कर दिया गया है उस कंपनी पर लगातार निगरानी करने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे इस क्षेत्र के जो मजदूर वर्ग के जो लोग है जो आदिवासी लोग है मजदूरी के लिये उस कंपनी पर जाते है और उन्हे किस प्रकार से सुरक्षित रहना है ना तो इसकी जानकारी कंपनी द्वारा दिया जाता है और ना ही क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है इसके वजह से जानकारी के अभाव में उनके स्वास्थ्य पर कई तरह की गंभीर समस्याए उत्पन्न हो रही है और सिलिकोसिस जैसे समस्याए उत्पन्न हो चुकी है और दर्जनों लोग अपनी जांन गवा चुके है। सिलिकोसिस से मरने वाले लोगो में से आज भी लगभग 6–7 बच्चे अनाथ बच्च गांव में है और उन अनाथ बच्चों के लिये किसी भी प्रकार की व्यवस्था ना तो सरकार कर रही है और ना ही कंपनी करं रही है जबकि जवाबदारी होनी चाहिये कंपनी की भी और सरकार की भी कि जो अनाथ बच्चे है उनके भरण–पोषण के लिये व्यवस्था किया जाये और जब वो 18 साल के हो जाते है तो उनके लिये नौकरी की व्यवस्था की जाये ताकि वे अपने जीवन यापन कर सके इसके लिये हमने कई बार कलेक्ट्रेड में भी जाकर आवेदन दिया है लेकिन कार्यवाही के नाम पर हमको केवल आश्वासन ही हासिल होता है ये बहुत दुःख की बात है। यहा सोसल इंपेक्ट असिसमेंट की बात की जा रही है और सोसल इंपेक्ट असिसमेंट में जो मेरी जानकारी के अनुसार है उसमें हमारे गांव में, देलारी मे, गौरमुड़ी में, जमडबरी में और आस–पास के जितने भी गांव है

वहां जाकर हमारे स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिये थी और स्वास्थ्य के जांच के बाद जो ईलाज या जो सरकार का नियम है उस हिसाब से कार्य करना चाहिये था लेकिन किसी प्रकार को सोशल इंपेक्ट असिसमेंट ना तो किया गया है और ना ही आज तक हुआ है। रायगढ़ इस्पात कंपनी सराईपाली में बैठा है उसका गेट देलारी में है और सराईपाली में जब जमीन है तो पेशा कानून वहां पर लागू होता है। मैं सराईपाली का हूँ और वहां आज तक ग्रामसभा एक बार भी नहीं हुई है ना ही एन.ओ.सी. किसी प्रकार की इस कंपनी को दी गई है फर ये जनसुनवाई क्यों आयोजित की जा रही है। सबसे पहले जो पेशा कानून के तहत ये नियम है ग्रामसभा की अनुमति होनी चाहिये और ग्रामसभा में प्रस्ताव होने के बाद ही कंपनी संचालित होनी चाहिये परन्तु पिछले 15 वर्षो से कंपनी संचालित है और ग्रामसभा आज तक नहीं हुई है और अभी जो जनसुनवाई हो रही है इसके लिये कम से कम एक बार ग्रामसभा का आयोजन करना चाहिये था लेकिन ग्रामसभा नहीं हुआ है तो पेशा कानून के उल्लंघन के जुर्म में क्या इस कंपनी पर भी एफ.आई. आर. नहीं होनी चाहिये। आप जिम्मेदारी अधिकारी है आप इस पर कार्यवाही करें। एक चीज और मैं देखता हूँ जब भी मैं रायगढ़ जाता हूँ तो रायगढ़ से पहले उर्दना के पास हमारे कुछ पुलिस साथी खड़े रहते है सफेद ड्रेस लगाकर और मैं उनको जब देखता हूँ तो बहुत दुःख होता है उनका सफेद सर्ट पूरा धुल से काला हो जाता है उनको ना तो मास्क दिया जा रहा है ना उनके किसी प्रकार का व्यवस्था किया जा रहा है उनके शरीर की जांच होनी चाहिये उनको किस प्रकार की बीमारियां हो रही है, क्या उनके शरीर पर इफेक्ट हो रहा है इसकी भी जानकारी होनी चाहिये, चलिये हम नगण्य और ग्रामीण लोग है हमारे स्वास्थ्य का जवाबदारी नहीं है किसी को लेकिन जो विभाग का जो एक सिपाही है जो हमारे सुरक्षा के लिये जिसको रखा गया है उसके स्वास्थ्य के लिये कम से कम उनकी हेल्थ की जांच होनी चाहिये जिस प्रकार से पाल्युशन इस क्षेत्र में फैल रहा है और नाड़ियो से धुल जा रहा है। जब भी मैं उन अधिकारियों और जो सिपाहियों को देखता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है कि कैसे ये यहा पर टीक रहे है लेकिन अगर वो वहा पर खड़े ना हो तो जो ट्रक है वो अनियंत्रित हो जायेंगे तो इस तरह की दिक्कते हमारे यहा लगातार हो रही है। सोशल इंपेक्ट असिसमेंट में बाद अगर हम ई.आई.ए. पर बात करें, इन्वायरमेंट इंपेक्ट असिसमेंट की अगर बात करे तो हमारे क्षेत्र में बाबाडेरा एक जगह है जहां निरंतर पानी बहते रहती है और ऊपर में एक झरना है जिसको इस ई.आई.ए. रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है और ना ही इस क्षेत्र में हाथी की अगर बात करें तो हाथी लगातार इस क्षेत्र में आ रहे है। कल शाम को सराईपाली में एक हाथी आया था जिसका जिक्र हालांकि अभी–अभी है इसलिये जिक्र नहीं हुआ होगा वो अलग बात है लेकिन ना तो किसी पेपर में आया, ना ही किसी अधिकारी ने जांच किया, ना ही उस पर कुछ कार्यवाही हुई है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के जो अन्याय हो रहे है उस पर आप लोगो की जिम्मेदारी है कि आप लोग कार्यवाही करें। दूसरा संविधानिक अधिकारी हमारे जो संविधान के द्वारा जो अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 21 जिसमें हमको शुद्ध वातावरण में हमको जीने का अधिकार है और शुद्ध वातावरण में ना तो हम बल्कि आप तो अधिकारी है, कर्मचारी है और कंपनी के जो लोग है वो ही अपने अधिकार का हनन कर रहे है और इस अधिकार की

बचाने की जिम्मेदारी आप जो जिम्मेदार अधिकारी है अभी पीठासीन अधिकारी और पर्यावरण विभाग के अधिकारी है आप लोगो की जिम्मेदारी है आज जनसुनवाई है इसीलिये यहा बैठे है लेकिन आपको जिम्मेदारी दी गई है कि इस क्षेत्र का वातावरण शुद्ध रहे और यहाँ किसी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण ना हो इस पर आप कार्यवाही करें और हमारे जो संविधानिक अधिकार है उसको आप रक्षा करें ताकि आप जहां भी जाये हम आपका नाम लिखते रहे कि ये अधिकारी थे जिन्होने हमारे अधिकार का रक्षा किया और हमारे लिये कुछ अच्छा करके गये। हालांकि मूंह सुख रहा है बहुत कुछ बोलना था पता नहीं क्या कारण है। एक चीज और हमारे यहां पहले गाय, बैल, भैंस हुआ करते थे आज देखे तो किसी के घर में गाय नहीं है इसको आप विकास कह सकते है और दूध सबको चाहिये लेकिन गाय किसी को नहीं चाहिये और लोग गाय इसलिये नहीं रखते है कि यहां चारागाह नहीं है, जितने चारागाह है वो सब खत्म हो चुके है, या तो उस पर कंपनियां बन गई है और जहां कंपनी नहीं बनी है जिस जमीन को कंपनी नहीं खरीद पा रही है उस जमीन पर फ्लाई ऐश डाल दिया जा रहा है तो चारागार पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। अब गौधन की रक्षा करने के लिये सरकार भी बहुत कुछ कर रही है। एक तरफ सरकार गौधन रक्षा करने के लिये गोठान योजना और कई तरह के प्रयास किया जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ हम देखे तो जो कंपनियां है वे इस गौधन को भी नस्ट करने के लिये लगातार लगी हुई है और पुरा जो जमीन है वो खतम हो चुका है, धीरे–धीरे बंजर हो जायेगा, आज 47 डिग्री पार हो चुका है, कल की स्थिति में 50 डिग्री भी होगा, 55 डिग्री भी होगा, आप लोग समझदार है इस विषय पर देखे, सोचे और उस अनुसार कार्य करें। कंपनी सिर्फ फायदा कमा रही है कम से कम इस क्षेत्र में वृक्षारोपण 10 प्रतिशत ग्रीनरी करने का नियम रहता है लेकिन कोई कंपनी 10 प्रतिशत ग्रीनरी नहीं कर रहा है। इसकी जांच कौन करेगा, साहू सर देखीय कम से कम आप जांच करवाईये की कहां–कहां ग्रीनरी लगी है, कहा वृक्षारोपण हुआ है और उस रिपोर्ट को कम से कम आप हमको साझा कर दे तो हमको भी थोड़ी तसल्ली होगी कि सही में कंपनियां आई है और इस क्षेत्र के लिये अच्छा कर रही है तो शायद हम भी इस कंपनी को समर्थन करते लेकिन इस तरह का कृत्य किया जायेगा चाहे वो कोई भी कंपनी हो, रायगढ़ इस्पात की ही बात नहीं कर रहा हूँ आस–पास में जितनी भी कंपनियां है अगर वे ग्रीनरी पर काम करे तो इस क्षेत्र का टेम्प्रेचर भी कम होगा और जो विकास के लिये जो चिमनी चलाई जा रही है उसमें जो ऑक्सिजन निकल रहा है जिस प्रकार चिमनी से आक्सिजन दिन–रात निकलता है तो शायद ऑक्सिजन को पेड़–पौधे थोड़ा सा वो करें तो हम लोग अच्छे से जी पायेंगे, मैं कार्बन डाईआक्साईड को आक्सिजन बोल रहा हूँ इसको आप नोट करें।

489. छबीराम भोय, देलारी – मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन है।

490. विपिन कुमार डनसेना, गेरवानी – मेरे बहुत सारे साथियों ने प्रदूषण के बारे में बहुत सारे बोले है लेकिन मैं उन कानूनों को नहीं जानता क्योंकि मैं कम पढ़ा–लिखा हूँ और कम पढ़ालिखा होने के नाते मेरे पास जो गुजर रहे है इस क्षेत्र के निवासी होने के नाते, या तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरा ऑख नहीं दिखता है इसलिये सब काला–काला दिखता है ये प्रदूषण है ये भी हो सकता है मैं मान सकता हूँ कि 60 साल पार

कर लिया हूँ तो मेरे को दिखाई नहीं देता तो हर चिज काला दिखता हूँ, इसलिये प्रदूषण दिखाई देता है। मैं जितने भी यहा उपस्थित सज्जन है चाहे अधिकारी हो, चाहे शासकीय कर्मचारी हो सबसे एक बार निवेदन करूंगा मैं यहा हूँ मेरे घर में जाईये, ताला–चाबी देता हूँ घर में अगर खुले पैर चल लिये, आपके पाव का निशान नहीं पड़ेगा तो आप जो सजा दे मुझे कबुल है, ये प्रदूषण की हाल है। बड़ा–बड़ा बात कर रहे थे अभी यहां के प्रबंधक महोदय ये लगाये है, वो लगाये है, पता नहीं क्या लगाया है अगर लगाया है तो उन महोदय से बोलिये वो मेरे साथ चले और मैं दिखाऊंगा उनको प्रदूषण कितना होता है वायु प्रदूषण। अगर ये सही करते तो शायद ये स्थिति नहीं आती लेकिन आ रही है। या तो आप गधे है, या तो आप जान नहीं पा रहे है ये विकास है अभी मेरे भाई साहब ने कहा ये विकास है तो बहुत बढ़िया विकास है ये होना चाहिये। सबके लिये है मेरे व्यक्तिगत के लिये नहीं है। रही जल प्रदूषण की बात, पिछले साल तक 20 फुट तक हम जल निकालते थे आज 80 फुट के अंदर पानी नहीं आ रहा है और अगर नहीं आ रहा है तो इसके पिदे यही कारण है कि भूमिगत जल का दोहन और आज प्रबंधक महोदय ने स्पष्ट कहा की हम हम भूमिगत जल का दोहन करेंगे, अगर भूमिगत जल का दोहन करेंगे तो सबसे पहले ये काम किया जाये कि हम लोगो के लिये पानी का व्यवस्था कर दिया जाये ये हमारा विकास हो जायेगा ताकि हमको पानी के लिये भटकना ना पड़े इस बुढ़ापे में तो बहुत जल्दी प्यास लगती है गर्मी के कारण और गर्मी तो बढ़ गई है क्योंकि पेड़–पौधा साफ है और एक और निवेदन करूंगा जल के नाम से आप लोगो में से अगर जो कोई भी मछली खाता है तो मैं उसको मछली खिलाउंगा वो खाकर देख ले वो बीमार होकर रात भर में हास्पिटल नहीं जायेगा तो मैं चैलेंज करता हूँ केलो नदी के मछली का ये हाल है, मैं खाता हूँ इसलिये मैं जानता हूँ तो केलो नदी का मछली खा पायेंगे तो हास्पिटल जायेंगे। दूसरा चीज है जल प्रदूषण जल सफाई करते है तो कल आने वाले इस जनसुनवाई में ये सब बाटल नहीं दिखना चाहिये लोकल स्थानीय पानी पीना चाहिये मेरा मांग है ये ताकि आपको पता लगे कि हम कैसे पानी पीते है। सबको बाटल नहीं दिखना चाहिये गांव का बोर से, गांव का तालाब से जो पानी हम पीते है वो पानी सब को पीना पड़ेगा और नहीं तो कल मैं भुख हड़ताल यहा पर करूंगा, हम अनसन में बैठेंगे इसके लिये अगर ये बाटल दिख गई हम लोगो को, प्रदूषण नहीं फैल रहा है क्या ये कागज, पन्नी, बाटल सब को फेक दिये है, हम खेती करते है खेत में बहकर जायेगा ये सब और दूसरा प्रदूषण हमारी जो सरकार है चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो बोलती है कि तुम लोग घर में शौचालय बनाओ और फैक्ट्री लोग इनके दादा लगते है किसी फैक्ट्री में नहीं है एक फैक्ट्री भी बता दे कि हम शौचालय बनाये है हमारा आदमी बाहर नहीं जाता है चलिये मेरे साथ मुआवना करवाईये, बड़े–बड़े दाव करते है कि हम ये व्यवस्था कर देंगे, हम वो व्यवस्था कर देंगे, इतने बैठे है उनके साथ में चलिये देखते है एक भी शौचालय बना है क्या? उनको जरूरत नहीं है, गंदगी तो सीर्फ हम करते है क्योंकि हम लोग अनपढ़ है, मूर्ख है, अनपढ़ है इसलिये नहीं जानते है, इसलिये हमको सिखाया जाता है कि घर में शौचालय बनाईये और शौचालय का पैसा देंगे बोलते है सरपंच खा जाता है और बोल दिया जाता है बन गया कोई जांच करने के लिये नहीं आता अगर ये विकास है तो ऐसा विकास

होना चाहिये, नित्यप्रति हो ऐसा विकास। दूसरा चीज ये बोलते है कि यहा जो भी आता है सेवा करते है, व्यवस्था करते है, ये महोदय लोग आप चले जाईये तो जी.एम. साहब से बात करो तो जी.एम. साहब ऐसे बैठे है टेड़ा होकर यहा का कोई अंडा, पण्डा मैं नहीं जानता उनका नाम मैं खुद गया था एक घंटा बैठाया मुझे पण्डा उनके दलालो से बात करवाया, फैक्ट्री वाला मेरे से बात नहीं कर सकता क्या? मै नालायक हूँ, मुझे सम्मान नहीं देंखे और है तो बताईये मैं यहा पर खड़ा हूँ बुलाईये उस पण्डा को। दूसरे आदमी को बुलाता है उसके माध्यम से काम होगा, मेरे को नहीं देंगे, उनके जो दलाल होंगे जो कमीशन देंगे, कुछ काम नहीं कराते है, ये इनकी निती है और बोलते है हम करते है, क्या हम लोकल वाले काम करने नहीं जानते है, हाथ, पैर नहीं है, क्यों उत्तरप्रदेश, बिहार और ओड़िसा से आदमी आते है, आये अगर हम नहीं कर पाते है तो बिल्कुल आना चाहिये वो भी हमारे देश का है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि लोकल वाले भागो और उसके जीजा, साले को बुलाओ, उत्तरप्रदेश से, बिहार से, ओड़िसा से, आंद्रा से वो उनके जीला है, साले है हम तो यहा पर उनके मजदुर है, दूसरे को क्या बोलू मेरे ही लोग अगर सही होते तो क्या बोलू, मैने हर तरह से प्रयास किया लोगो को जगाने का, बोला गांव–गांव जाकर विरोध करो लेकिन नहीं। आप लोग सब समझदार है शासन की देख–रेख करते है। हमारे पर्यावरण अधिकारी से मैं निवेदन करूंगा आप यहाँ से रायगढ़ जा रहे है अभी जितने रोड के किनारे प्रदूषण पड़े है चालान बनाईये चलिये हम चलते है, कितने के पास परमिशन है, पाटे है। मैने खुद आवेदन किया था आपके कार्यालय में मेरे जमीन में खेती नहीं हो रहा है, मजदूर नहीं मिल पा रहा है, मुझे पाटने का अनुमति नहीं दिये ताकि मैं अपना पटे भर सकु, लेकिन मुझे नहीं मिला परमिशन और डेम के किनारे कलो नदी के ऊपर पॉल्यूशन का अंबार लगा है चलिये मेरे साथ मैं दिखाता हूँ, किसके आदेश से मिला, ठीक है आप नहीं रहें होंगे कोई भी रहेगा लेकिन अधिकारी तो ही कराया, शासन का अधिकारी तो वाह ही रहा क्यों लगा है और लगा है तो उसका शिकायत आज क्यों नहीं है? जब मैं बोल रहा हूँ तो उसका होना चाहिये ना, लिखिये और कल चलिये मेरे साथ उसके बाद जांच कराईये लेकिन ये भी नहीं होगा क्योंकि एक कहावत है खटाखट–खटाखट और उसके बाद साय–साय यही चल रहा है यही सरकार है। कभी ना कभी हमे भुगतना पड़ेगा इसका परिणाम और भुगतेंगे इसका जवाबदार कोई और नहीं हम ही है, हम सब है लेकिन मेरी बातो को ध्यान दीजिये। एक और बात कहनी थी कोई ऐसा गांव नहीं है जहां एक हाथ से अपंग नहीं है या पैर से। सरकार तो कहती है कितने प्रतिशत अपाहिज लोगो को 20 प्रतिशत, 40 प्रतिशत को नौकरी दी जाये, सरकार के पास नहीं है मान गया जितनी बड़ी जनसंख्या है वो कहां से दे पायेगा, क्या इतने सारे प्रबंधन है रायगढ़ जिले में एक गांव के लोगो को नौकरी देने का अधिकार नहीं है इनको, क्यों नहीं है, इसका प्रावधान है कि नहीं? वो अपंग लोग कहां जायेंगे, पहले पुटु बेचकर खाते थे, लकड़ी बेचकर खाते थे आज कहां जायेंगे, कोई कुलझारी भाजी लाते थे पहाड़ से, आज तो पुटु है ना कुलझारी भाजी है, ना लकड़ी है और एक अनिवार्य आदेश का पालन कीजिये पीठासीन महोदय की ये जो फैक्ट्री वाले है अपने कोई भी आदमी को लकड़ी से उपयोग ना करें जो थोड़ा बहुत जंगल है वो बच जाये एक आदेश कीजिये

कि यहां कोई भी फैक्ट्री वाले लकड़ी का उपयोग करते पाया गया उसको सीधा–सीधा निरस्त कीजिये उस फैक्ट्री को। उसके वर्कर लोग, उसके आदमी लोग और ना कोई आदमी बाहर जाकर गंदगी फैलाये। हम लोग अपने खेत भी जाते है तो वो जाने के लिये रास्ता नहीं होता, नाक दबाकर जाते है ये परेशानी है। यहां तो बड़े–बड़े कानून का बात करते है, मुझे आता तो नहीं है, मैं पढ़ालिखा नहीं हूँ, क्या बात करू मैं नियमों का। और एक बात है ये आप लोग कहते हो मैं नहीं जानता मैं पढ़ालिखा नहीं हूँ इसलिये सी.एस. आर. क्या मद होता है आप लोगो का जो सुना है वही बता रहा हूँ उस मद से 8 किलोमीटर की परिधि में खर्चा होना चाहिये ये कंपनी का आज हम समर्थन और विरोध कर रहे है ये मेरे को बता दे 8 किलोमीटर के परिधि में किस गांव में कितना पैसा खर्च किये है, लिखिये इस बात को और किस गांव में किये है, किस मद में किये है, शौचालय बनाये है, रोड बनाये है, डामरीकरण किये है क्या किये है? ये प्रमाणीकरण होना चाहिये। आप कल भी आयेंगे और संबंधित को बता दीजिये ये सारी जानकारी होना चाहिये नही तो कल आंदोलन होगा। और एक बात ये बोले हम स्वास्थ्य सेवा करते है, क्या स्वास्थ्य सेवा है इतने सारे इस गेरवानी, चिराईपानी, पाली, देलारी, शिवपुरी ये 7–8 गांव है जिसका एक पंचायत होता था, इस 6 गांव में कम से कम 14 उद्योग लगे है, ये 14 उद्योग कहते है कि हम स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, हप्ते में 1–1 दिन करते तो 15 दिन होता आज तक का रिपोर्ट दे कि कहां–कहां उन्होने स्वास्थ्य शिविर लगाया, लोगो का जांच कराया उसका रिपोर्ट हमें चाहिये और आप लोग नहीं दोगे तो एन.जी.टी. मैं भोपाल जाउंगा और वहां से लेकर आउंगा, मुझे इनकी सारी कापी चाहिये एन.जी.टी. में इन्होने कहां–कहां स्वास्थ्य शिविर लगवाया, किस गांव में कितना–कितना पैसा खर्चा किया 8 किलोमीटर की परिधि में। हम लोग सिर्फ दलिया खाने के लिये पैदा हुये है या तो हमको तेल लगाना नहीं आता इन उद्योग वालो का, उनके मैनेजर का, उनके मालिक का, हम अपना सर्वस्त्र प्रदान करे और उनको तेल लगाये ये अंग्रेजी राज नहीं चलेगा हो गया देश बदल गया। मैं अपने स्थानीय पीड़ा का दर्ज कराया हूँ ये मेरी पीड़ा है और कम मुझे फिर खड़ा होना है आपके पास सामने में तो ये जानकारी तीन चीज तो मुझे चाहिये, नही तो कल भुख हडताल में बैठुंगा, एक तो कहा–कहां किस मद में खर्चा किये, स्वास्थ्य के लिये कहां–कहां कैंप लगाये और सी.एस.आर. मद का पैसा कौन से गांव में कितना किये। यहां का सारा पैसा लेकर चले जाते है रायपुर, दिल्ली, रायगढ़, गर्दा हम खाये, मजा वो खाये। अगर सरकार चाहती है, प्रशासन चाहती है आंख बंद करके तो आज के डेट में सुनहरे पट्टी से लिख लीजिये गदर प्रारंभ होगा और इसके जवाबदार सरकार होगा, प्रशासन होगा धन्यवाद।

491. किशन गुप्ता – यहां सिर्फ बदमाशी का विकास हुआ हैं बिना सीमांकन किये दिवाल दिया है। यंदि कंपनी के अंदर किसान का जमीन घुस जाये तो कैसा होगा। ग्रामीण सड़क जो गांव से निकलती है उसके पास मेरा जमीन है और उसमें वह कचरा फैला रहा हूं। यहा उद्योग इस प्रकार का कार्य करते हैं। पंडा जी को कॉल किया था मोबाईल बंद कर दिया था। मैं एक किसान हूं मेरे खेत से काला धान निकलता है मंडी में खरीदी नहीं होता है। किसानों की जमीन में रोड बना दिया गया है। उद्योगों के द्वार कचरा फेंका गया है

ए. रिपोर्ट बनने के लिये जाता और फिर से ग्रामसभा की प्रस्ताव होती, चुंकि यह क्षेत्र मुझसे पहले भैया राजेश त्रिपाठी जी बोल रहे थे कानून पर बहुत अच्छी जानकारी रखते है उन्होने बताया कि इस क्षेत्र में 1996 से ही जब पेशा कानून बना तब पेशा कानुन लागु है उस आधार से ग्रामसभा की प्रस्ताव अनिवार्य होनी चाहिये थी और मैं उससे और आगे चले जाऊ तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 244ए के अनुसार इस देश में अनुसूचित क्षेत्र घोषित है यह क्षेत्र जहां कंपनी स्थापित है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 244ए के अनुसार जो स्वशासन और नियंत्रण का अधिकार है वहां के क्षेत्रवासियों को ग्रामिणों को उस अधिकार के तहत वहा की ग्रामसभा की अनिवार्य भी अनिवार्य हो जाती है जो कि इस ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाने के पहले जिस ई.आई.ए. पर हम यहां चर्चा करने के लिये उपस्थित हुये है उस ई.आई.ए. बनाने के पहले ना तो एस.आई.ए. पर गांव वालों को जानकारी दी गई ना तो ई.आई.ए. तैयार करने के समय गांव वालो को जानकारी दी गई, ना प्रभावित क्षेत्र के लोगो को जानकारी दी गई और आज हम जो हवा, हवाई ई.आई.ए. रिपोर्ट कागजो में बना दिये गये बल्कि मैं ये कहु पहले जो जनसुनवाईयां होती थी उन कंपनियों के हुबहु मिला–जुला बस कंपनी का नाम, बाहर क्षमता ये सब बदल दिया गया है बाकी सब चीज वहीं है और उसके आधार पर ये पर्यावरणीय जनसुनवाई हो रही है और इस पर मैं आज अपनी बात रखने के लिये यहां उपस्थित हुआ हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि पहले तो ये गैरसंविधानिक रूप से एस.आई.ए. ई. आई.ए. बनाया गया, विधि विरूद्ध एस.आई.ए. और ई.आई.ए. बनाया गया और आज की ये जनसुनवाई हो रही है वो गैर संविधानिक तरीके से, गैरकानूनी तरीके से, विधि विरूद्ध ये आज की जनसुनवाई हो रही है और इसलिये इस जनसुनवाई को तत्काल निरस्त कर पुनः इस देश के बुद्धिजीवी नागरिकों को, इस क्षेत्र के बुद्धिजीवी नागरिकों को जो प्रभावित क्षेत्र के लोग है उस गांव के उन सबको विधिसम्मत, नियम के अनुरूप जिस तरीके से पर्यावरण केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो 14 सितंबर 2006 के तहत जो उद्योग के आवेदन करने के 45 दिवस के अंदर ये जनसुनवाई आयोजन कराया जाना था वो यहा पर आज दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इनका जो आवेदन है वो एक साल पहले का है। इसलिये आज की यह जनसुनवाई केन्द्रीय पर्यावरण, वन जलवायु मंत्रालय के जो अधिसूचना है उस विरूद्ध में भी है, इसके विरूद्ध में भी है, कानून के विरूद्ध में भी है, विधि के विरूद्ध में भी है इसलिये आज की यह जनसुनवाई यही पर स्थिगित कर इसको निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा और इस क्षेत्र के जनहित में होगा। किन्हीं परिस्थितियोवश 14 सितम्बर 2006 की अधिसूचना के अनुसार 5 दिवस के अंदर जनसुनवाई का आयोजन नहीं कर पाते है तो जो केन्द्रीय पर्यावरण, वन मंत्रालय समिति गठन करेगा और वो समिति गठन करके जनसुनवाई का आयेाजन करेगा। जो आज ये जनसुनवाई हो रहा है वो उसके विपरित हो रहा है इसलिये आज की यह जनसुनवाई यही पर स्थगित कर इसे निरस्त कर दिया जाना इस क्षेत्र के हित में यहा के जनहित में होगा। महोदया जी यह जो मेसर्स रायगढ़ एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम देलारी, सराईपाली में जो स्थापित है उस क्षेत्र में आज से पहले 14 लोगो की सिलिकोसिस बीमारी से मौत हो चूंकि है और यह सिलिकोसिस बीमारी छत्तीसगढ़ का इस क्षेत्र में पहला बीमारी था साथ ही साथ इस क्षेत्र में सिलिकोसिस

जैसे और भी बहुत सारे बीमारियां व्याप्त है, दमा है, खासी है, खुजली है, कैंसर है इन जैसे बीमारियों से इस क्षेत्र के लोग ग्रसित है और उसके पीछे का करण बस यही है कि जो जिम्मेदारी जैसे राजेश त्रिपाठी भैया जी ने कहा कि हम किसी उद्योग के विरोध में नहीं, हम उसके दुश्मन नहीं, उद्योग लगती है तो निश्चित ही इस देश की विकास होती है लोगो को रोजगार मिलना चाहिये लेकिन मिलता नहीं है। पर्यावरण मानको को उसका पालन करते हुये उद्योग लगे जो पर्यावरण मंत्रालय के दिशानिर्देश है, जो विधि है, नियम है उस नियम का पालन करे उद्योग तो हमे भी इस बात से एतराज नहीं होगा कि उद्योग लगे क्योंकि यहा पर 99.9 प्रतिशत कंपनियां पर्यावरण मंत्रालय एवं जलवायु मंत्रालय की जो नियम है, जो आदेश है पर्यावरण को लेकर ये गंभीर नहीं होते, उद्योग लगाने के पहले ये सारे मानको को पूरा करने का अपना शपथ पत्र तो पेश करते है, अपनी बाते करते है, क्षेत्र में रोजगार देने की बात करते है, अस्पताल बनाने की बात करते है, स्कूल बनाने की बात करते है, मूलभूत सुविधाए दिलाने की बात करते है जिसके लिये सरकार के द्वारा यहा सी.एस.आर. फंड भी उपलब्ध कराया गया है उन सामाजिक जिम्मेदारी सारे कार्पोरेट खदानो को दी गई लेकिन विडंबना की बात है कि यहा के उद्योगपति और कार्पोरेट खदाने अपने सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते इसलिये आज की यह जनसुनवाई स्थगित कर इसे निरस्त किया जाना इस क्षेत्र के लिये न्यायोचित होगा। यह ई.आइ.ए. रिपोर्ट पता नहीं किनके द्वारा बनाया गया है बल्कि मेरा तो सीधा–सीधा आरोप है कि ये सिर्फ कागजो पर हवा–हवाई पुराने दूसरे कंपनियों के ई.आई.ए. रिपोर्ट के अनुसार बनाया गया है जिसमे ना तो यहा के जानवरों का जिक्र किया गया है जैसे मेरे पूर्व वक्ता राजेश त्रिपाठी भैया जी बोल रहे थे कि यहा के हाथी कारीडोर के विषय में जो टॉवर बनाये गये है जो यहा के क्षेत्र के लोगो को हाथी के कुचलने से दुर्घटना होने से लोगो को प्रशासन द्वारा मुआवजा दिये गये है वो एक एविडेंश है कि इस क्षेत्र में हाथी भी विचरण करते है, किसान लोग शिकायत करते है किसी का फसल नुकसान होने पर वो एविडेंश है की यहाँ पर हाथी है, यहा पर भालू है, यहा पर बंदर है, जंगली बहुत सारे जानवर है लेकिन ई.आई.ए. रिपोर्ट में कुछ भी नहीं दिखाया गया है। यदि आज की इस ई.आई.ए. पर मैं चर्चा करू और इस जनसुनवाई को समर्थन करने की बात करूं तो क्या उन जानवरो को आने वाले समय में नुकसान नहीं होगा जो एक मानव जीवन के लिये अतिअनिवार्य है। मैं इस ई.आई.ए. पर यह कहना चाहता हूँ की सरकार के द्वारा केन्द्रीय जलवायु पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किसी भी उद्योग को उद्योग के स्थापना या विस्तार के समय जनसुनवाई कराया जाना इसलिये आवश्यक होता है कि उस क्षेत्र के लोग जो ई.आई.ए. तैयार किया गया था उस ई.आई.ए. पर अध्ययन करे। महोदय जी आप किसी भी गांव के प्रभावित क्षेत्र के लोग है उस क्षेत्र के किसी भी गांव में एक दिन चले जाईये, वहा के गांव वालो को बुला लीजिये कि पर्यावरणीय जनसुनवाई होने के 27 तारीख के पहले कब आपके गांव में ई.आई.ए. रिपोर्ट पर्यावरण विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया और जब उपलब्ध कराया गया तो वहा के लोगो से क्या उस ई.आई.ए. रिपोर्ट पर चर्चा की गई, उसकी जानकारी दी गई या नहीं दी गई इस पर जानकारी ले लेना आवश्यक है क्योंकि जो कानून बनाये गये, जो विधि बनाये गये आज ये पर्यावरण जनसुनवाई हो जाती है

और सारा रिपोर्ट केन्द्रीय पर्यावरण जलवायु मंत्रालय को जाता है वो देखता है कि यहा विधिसम्मत जनसुनवाई हुआ लोगो ने अपनी बाते रखी लोगो को ई.आई.ए. रिपोर्ट पढ़ाया गया और लोग वहाँ सहमत है लेकिन जमीन पर हकीकत जस्ट उसके उल्टा है यहां एक प्रतिशत लोग को भी इस ई.आई.ए. रिपोर्ट की जानकारी नहीं है जो ई.आई.ए. रिपोर्ट आपके विभाग से मुझे दिया गया है मेरे हाथो में है इस ई.आई.ए. का अध्ययन किसी भी ग्रामसभा में, गांव में, पारा मे, मोहल्ला में, टोला में नहीं पढ़ाया गया, नहीं बताया गया अब आप मुझे बताये कि जिसको इस ई.आई.ए. के बारे में जानकारी नहीं वो यहा पर आकर क्या करेंगे। मुझसे पहले वक्ता भैया का वही हाल है कि एक दिन की दिहाड़ी मिल जायेगी और हम वहा पर समर्थन करके आयेंगे मैने पहले ही कहा है कि यह समर्थन और विरोध का विषय नहीं है और मैं आज यहा खड़ा हुआ हूँ तो समर्थन या विरोध करने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूँ। इन्होने जो ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाकर पेश किया है जिस पर आज बात रखने के लिये आपने यहा जनसुनवाई आयोजित किये है उस पर मैं बात करने के लिये आया हूँ। महोदया जी ये मेसर्स रायगढ़ एण्ड पॉवर लिमिटेड ग्राम–देलारी में जो स्थापित है और जिसके विस्तार के लिये जो जनसुनवाई कराया जा रहा है पहले से ही व्यापक तौर से इनके द्वारा व्यापक रूप से पर्यावरण प्रदूषण फैलाया जाता रहा है यदि इसका विस्तार होता तो वह 10 गुना कहु, 20 गुना कहु, 50 गुना कहु, 100 गुना कहु जितना गुना आप बढ़ा ले इस क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण होगा। सभी वक्ताओं ने अपनी बाते रखा और सभी ने यहा की जन समस्याओं पर अपने बाते कही। महोदया जी आज इस कंपनी की जनसुनवाई हो रही है मुझसे पहले भैया जयंत जी ने आज की सुनवाई में बहुत अच्छी बात रखे उन्होने कहा कि इस कंपनी का जो स्थापना है जिस जमीन पर ये कंपनी स्थापित है उस कंपनी का डायवर्सन भी नहीं हुआ है चुंकि कानून आप किसी जमीन पर उद्योग लगाते है तो उस जमीन का डायवर्सन कराया जाना अति आवश्यक होता है आज वो मैं सारा दस्तावेज टाउन एण्ड कंट्री से और आपके प्रशासन द्वारा दिया गया रिपोर्ट औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से निकाला हुआ ये सारा रिपोर्ट मैं लेकर आया था अच्छा हुआ जयंत भैया ने पहले ही डायवर्सन पर अपनी बात छेड़ दी। मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुये कहना चाहता हूँ कि उद्योग स्थापित जमीन का डायवर्सन के साथ–साथ नक्शा भी पास नहीं हुआ है, अब ये मामला पर्यावरण प्रदूषण फैलाने के साथ–साथ राजस्व की चोरी का भी मामला बनता है। मतलब इस कंपनी के द्वारा स्थापना से लेकर अब तक शासन और प्रशासन को इस क्षेत्र की ऑखो में धुल तो झोकते ही है लोगों को बेवकूफ तो बनाते ही है शासन और प्रशासन की ऑखो में धुल झोकते हुये राजस्व की चोरी भी कर रहे है मैं बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ, पर्यावरण प्रदूषण तो फैला रहे है ये राजस्व की चोरी भी कर रहे है और ये एविडेंश मेरे हाथो में है ये प्रशासन के द्वारा दिया गया, इन्होने नक्शा पास नहीं कराया, इन्होने डायवर्सन भी नहीं कराया। अब इन्होने स्थापना के समय अपने रिपोर्ट में क्योंकि बिना पानी के उद्योग तो चल नहीं सकता, बिना कोयला के उद्योग चल नहीं सकता आप इस बात का जांच करा दे कि कंपनी के अंदर गैर कानूनी तरीके से अवैध भू–जल दोहन करके इस प्लांट की संचालन की जा रही है। अवैध रूप से भू–जल दोहन किया जा रहा

है, जहां एक ओर अभी जिला प्रशासन ने नये नलकूप खनन करने के लिये क्योंकि यहां की स्थिति जल की स्थिति दिन ब दिन घटती जा रही है, कही ना कही इन सारे उद्योगो की वजह से इस क्षेत्र में अवैध रूप से भू–जल दोहन करने की वजह से इस क्षेत्र में जल स्तर दिन ब दिन घटता जा रहा हैं जो आने वाले समय के लिये यहा के जल जीवन के लिये खतरे की घंटी है और इसलिये आज की इस जनसुनवाई को स्थगित करते हुये इसे निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा, जनहित में होगा। आज जनसुनवाई में उपस्थित साथी कह रहे है और निवेदन है प्रशासन के अधिकारियों से कि लोगो को पंखा, पानी की व्यवस्था की जाये, लोगो को चक्कर आ रही है। महोदय नियुक्त कंपनी के पूर्व से ही व्यापक पैमाने पर उद्योग संचालन हेतु ये जो मैं भू–जल दोहन की बात कह रहा हूँ इस पर ये लोग अपने ई.आई.ए. पर चोरी करने वाला अपनी चोरी कभी नहीं दर्शाता वैसा ही ये अपना काम कर रहे है। यह पर्यावरण संरक्षण मापदंडों के विपरीत है इसलिये आज ये जनसुनवाई निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा। महोदया जी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल के द्वारा राज्य सरकार और जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया उस निर्देश में कहा गया है कि क्षेत्र में पर्यावरणीय अध्ययन कंपनी का विस्तार या उद्योग की स्थापना की अनुमति पर विचार किया जाना चाहिये लेकिन आज की जो ये जनसुनवाई हो रही है इस पर ना तो विचार किया गया इस विस्तार करने के लिये क्योंकि इसके विस्तार से ही जिस तरीके से एन.जी.टी. ने अपने आदेश में कहा है अपने निर्देश में कहा है कि रायगढ़ जिला में और इस सराईपाली क्षेत्र में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण व्यापक पैमाने पर बढ़ जायेंगे जो यहा के जनजीवन के लिये खतरे की घंटी है, जनजीवन के विपरित है पहले से इस क्षेत्र में अनेको उद्योगो की स्थापना और उसके विस्तार पिछले 2–3 सालो से लगातार चल रहे है जिसके कारण यहा पर्यावरण प्रदूषण व्यापक पैमाने पर फैल रहे है विस्तार होने से यहा बड़ी–बड़ी गाड़ियों का आवागमन बढ़ गया है, दुर्घटनाऐं बड़ रही है, दुर्घटनाओं में बहुत सारे लोगो की जान चली जा रही है, इस क्षेत्र में बाहरी लोगो का आना इस क्षेत्र के विपरित है उस क्षेत्र के माहोल और सामाजिक दृष्टिकोण से हम देखे तो उसके विपरित है क्योंकि मैं पहले से ही इस बात का जिक्र कर चुका हूँ ये अनुसूचित क्षेत्र है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 244ए के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में कोई बाहरी व्यक्ति का घुमना भी वर्जित है, वहाँ रहना तो दूर की बात यदि वो रहता है तो वहाँ की ग्रामसभा से अनुमति ले तब जाकर वो उस क्षेत्र में रह सकता है। आज मैं कहना चाहता हूँ कि जिस जनसुनवाई का आयोजन की गई है ये जनसुनवाई आयोजन करने के पहले भी संविधान के मुताबिक लोकजनसुनवाई के पहले ग्रामसभा की जनसुनवाई अनिवार्य थी और इसीलिये मैं कह रहा हूँ आज की जो जनसुनवाई है वो विधिसम्मत नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान के विरोध में जाकर संविधान का उल्लंघन करते हुये यह जनसुनवाई कराई जा रही है इसलिये आज की ये जनसुनवाई को यही पर स्थगित कर निरस्त किया जाना इस क्षेत्र के लोगो के लिये, यहा के पर्यावरण के लिये न्यायोचित होगा। इनकी जो ई.आई.ए. रिपोर्ट है उसमें जो डेटा बताया गया है दरअसल जो कानून ई.आई.ए. रिपोर्ट में जो जानकारी बतायी जानी चाहिये थी वो जानकारी वर्तमान समय की होनी चाहिये लेकिन इनके द्वारा जो जानकारी

बताया गया है वो 5–6 साल पहले की जानकारी बताई है। महोदया जी 5–6 साल बहुत लंबा समय होता है वहाँ का सामाजिक, वहाँ का भौगोलिक और पर्यावरण स्थिति से पल–पल वो समय बदलता रहता है और इसलिये इनका जो ई.आई.ए. रिपोर्ट है वो 3 साल पहले का, 6 साल पहले का रिपोर्ट है उसके आधार पर 2011 में जो जनगणना कराया गया उसी के आधार पर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करके यह लोकजनसुनवाई कराया जा रहा है यह ई.आई.ए. रिपोर्ट फर्जी कापी पेस्ट कह सकते है। इसलिये इस ई.आई.ए. पर हम जब चर्चा कर रहे है तो इस ई.आई.ए. पर इस कंपनी का विस्तार कराया जाना न्यायोचित नहीं होगा। आपको बता देना चाहता हूँ कि यह क्षेत्र कोयला खदान, पॉवर प्लांट, स्पंज, बहुत सारे प्लांटो से यह क्षेत्र में कंपनियां स्थापित है जिसके चलते व्यापक पैमाने पर बड़े–बड़े गाड़िया जिनकी भार क्षमता सामान्य सड़को से भी ज्यादा होती है जैसे हम गेरवानी से सराईपाली आते है जहां पर यह कंपनी स्थापित है उस मार्ग में चलने के लिये जो उसकी भार क्षमता है और उस मार्ग में जो गाड़ी चलती है उसकी भार क्षमता उससे तीन गुनी ज्यादा होती है इससे यहा की सड़के आये दिन जर्जर हो जाती है और उस सड़को पर अवैध रूप से जो ट्रांसपोटिंग की जा रही है जिसमें कंपनियों के कच्चे माल और उनसे निकलने वाले जिनको फ्लाई ऐश कहते है, कोयला का जो राख है पर्यावरण के नियम के विपरित बिना पानी छिड़काव करे त्रिपाल ढकते है तो वो भी आधे–अधुरे इस क्षेत्र में सड़को के किनारे चलने वाले दो पहिया वाहन में चलने वाले लोगो को उस सड़क पर चलना दुभर हो जाता है आये दिन दुर्घटना होती रहती है और हम चाहते है ये जो ट्रांसपोटिंग किये जाते है वो नियम के दायरे में रहकर सारे उद्योग अपनी जिम्मेदारी को निभाये। महोदया जी फ्लाई ऐश की वजह से सारे उद्योग जहां–तहां अपना फ्लाई ऐश डंपिंग कर रहे है और उसके वजह से इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के जनमानस में, इस क्षेत्र के लोगो में इतनी सारी बीमारियां हो रही है यहाँ के जो हरे पत्ते आप यहाँ बरसात के बाद किसी भी मौसम में आये तो यहा के हरे पत्ते काले नजर आते है तोता भी हरा होता है लेकिन यहाँ का तोता काला कलर का तोता होता है वो चीज यहाँ पर दिखाई देता है जिससे यहाँ के क्षेत्र में स्वास्थ्य पर बुरा असर पढ़ रहा है क्योंकि यहा बहुत सारे क्षेत्र में बीमारियां आये दिन जो रिपोर्ट हम स्वास्थ्य विभाग से लेते है उससे पता चलता है कि जो दमा, शरीर पर चर्म रोग, ऑखो में जलन और विभिन्न प्रकार की बीमारी छोटे–छोट बच्चे जो पढ़ने वाले है आंगनबाड़ी में उनको प्रभाव पड़ रहा है। यहा से 10 किलोमीटर के अंदर जो केलो डेम है, बिलासपुर डेम है जो इस क्षेत्र के लिये जिनका जल प्रदूषण पर पड़ने वाला जो प्रभाव आकलन है। इनका जो ई.आई.ए. है उस ई.आई.ए. में कही पर भी जो जल प्रदूषण है इस डेम में बल्कि मैं यह कहुं कि केलो नदी को जीवनदायिनी कहा जाता है रायगढ़ जिले में उस केलो नदी को भी दूषित करने में कोई कसर इन्होने नही छोड़ा और इसलिये ये आज की जनसुनवाई स्थगित कर निरस्त किया जाना है उस जीवनदायिनी केलो नदी के लिये भी उपकार होगा। और जब हम बेरोजगारी की बात करते है इतने सारे उद्योग जो इस क्षेत्र में लगे हैं और हम रोजगार कार्यालय के जो रजिस्टर्ड बेरोजगार है 2 लाख 20 हजार 563 युवा आप इस प्रभावित क्षेत्र में किसी भी गांव का आंकलन कर लिजिये, अध्ययन कर लिजिये 90 प्रतिशत यहा के युवा बेरोजगार मिलेंगे

जबकि 100 प्रतिशत यहां पर कंपनियां स्थापित है। बेरोजगारी के मामले में भी रोजगार देने के मामले में भी ये सारे उद्योग पिछे रहे है या आनाकानी करते है। उद्योग के समय गांव वालो को कह तो दिया जाता है कि जब उद्योग स्थापित होंगे तो आपके क्षेत्र के लोगो को रोजगार मिलेगा, सभी रोजगार होंगे, रोजगार के बहुत सारे मानक होते है भईया ने गिनाया किसको चपरासी बनाया गया नौकरी देने की बात होती है, नौकरी अनेको प्रकार के होते है उसका प्रकार नहीं बताया जाता नौकरी तो देने की बात होती है लेकिन उसका प्रकार नहीं बताया जाता ना तो ग्रामीण उस प्रकार को पुछते है कि ऑफिसर बनाओंगे की चपरासी बनाओगे की झाडु लगाने वाला बनाओंगे लेकिन फिर भी रोजगार देने के मामले में ये सब पीछे रहें हैं। इस क्षेत्र में जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी है यहा पर अस्पताल बनाने की, स्कूल बनाने की चुंकि मैं बहुत सारे देखता हूँ तो गांव वाले बताते है कि कंपनी वाले बोलते हैं कि आप उतने शिक्षित नहीं है कि आप हमारे इस कंपनी नौकरी कर पाये, उस स्तर का आपका शिक्षा नहीं है कि आपको मैं ये बना दूं। महोदय जी मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये कंपनियां जब से स्थापित है ये सामाजिक जिम्मेदारी निभा लेते और उस समय में उस स्तर के स्कूल खोल लेते और यहाँ पर उनको उस स्तर का पढ़ाई दिया जाता तो आज 10 साल, 15 साल, 20 साल वो आज बच्चे पढ़कर तैयार हो जाते और कंपनियों में कार्य कर रहे होते लेकिन उस जिम्मेदारी से भी ये भागते है।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि यदि कोई ग्रामीणजन, आस–पास के प्रभावित लोग अपना पक्ष रखने में छूट गये हो तो मंच के पास आ जाये। जनसुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होने पुनः कहा कि कोई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधी छूट गये हो तो वो आ जाये। इस जन सुनवाई के दौरान परियोजना के संबंध में बहुत सारे सुझाव, विचार, आपत्ति लिखित एवं मौखिक में आये है जिसके अभिलेखन की कार्यवाही की गई है। इसके बाद 04.35 बजे कंपनी के प्रतिनिधि/पर्यावरण कंसलटेंट को जनता द्वारा उठाये गये मुद्दो तथा अन्य तथ्यों पर कंडिकावार तथ्यात्मक जानकारी/स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया।

कंपनी कंसलटेंट श्री महेश्वर रेड्डी द्वारा बताया गया कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण के बारे में बात हुआ उसके लिये प्रस्तावित उद्योग में ई.एस.पी., बैग फिल्टर, डस्ट सप्रेशन सिस्टम, पक्का रोड बनायेंगे, हरियाली 33 प्रतिशत होगी एडिसनल लैण्ड को मिलाकर, ये सब करने के बाद चिमनी हाईट केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के अनुसार रखा जायेगा और धूल की मात्रा ई.एस.पी., बैग फिल्टर में 30 मिलीग्राम पर नार्मल मीटर क्यूब के अंदर रखा जायेगा और उसके अलावा एफ.बी.सी. पॉवर प्लांट है इसमें सल्फल डाई आक्साईड और नाईट्रोजन डाई आक्साईड का 10 मिलीग्राम पर नार्मल मीटर क्यूब से कम रहेगा, सल्फर डाईआक्साईड 100 मिलीग्राम पर नार्मल मीटर क्यूब से कम हो जायेगा, नाईट्रोजन आक्साईड का फ्लू गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम से नाईट्रोजन आक्साईड 100 मिलीग्राम पर नार्मल मीटर क्यूब से कम आयेगा। प्रस्तावित विस्तार के लिये जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसे केलो नदी से लिया जायेगा अभी एक्जिस्टिंग प्लांट में ग्राउण्ड वाटर लिया जा रहा है ग्राउण्ड वाटर 450 किलोलीटर प्रतिदिन हम ई.आई.ए. रिपोर्ट सबमीट किया था उस दिन वैलिडिटी था जनवरी 2024 तक अभी उसका रिन्यूअल भी हो गया

23 जनवरी 2027 तक सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर ने परमिशन दिया है। इसके अलावा जल प्रदूषण के बारे में बात हुआ था जो दूषित जल निकलेगा उसे इफ्लुयेंट ट्रीटमेंट यूनिट में किया जायेगा उसके बाद दूषित जल को डस्ट सप्रेशन, ऐश कंडसनिंग और हरियाली के लिये उपयोग किया जायेगा कोई भी दूषित जल बाहर नहीं जायेगा। इसके अलावा एम्प्लाईमेंट के बारे में आया था रोजगार में प्रायटी लोकल लोगो को दिया जायेगा, महिलाओं को भी प्राथमिकता दिया जायेगा एम्प्लाईमेंट में। हाथी मुवमेंट इस एरिया है इसलिये कंजर्वेशन प्लान बनाया था प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेट ऑफ फारेस्ट से अनुमति भी लिया गया है जो इसमें 67.5 लाख बजट अवलोकित किया गया है वो 5 साल में खर्च किया जायेगा कंजर्वेशन एलिफेंट के लिये और प्रस्तावित विस्तरण में जो पानी में केलो नदी से लिया जाये जो वाटर परमिशन सर्फेस वाटर से लिये जाने के बाद ही एक्सपांशन प्रोजेक्ट शुरू किया जायेगा उसके पहले नहीं होगा। प्रस्तावित वितरण में ब्रिक मेन्यूफेक्चरिंग प्लांट भी लगा रहा है इससे पहले एक्जिस्टींग में नहीं है प्रस्तावित विस्तरण में ब्रिक मेन्यूफेक्चरिंग प्लांट लगा कर जो डस्ट निकलेगा उसको ब्रिक बनाके उपयोग करेंगे। अभी एक्जिस्टींग प्लांट में कोल का ऐश को केलो नदी में आज तक डंप नहीं किया गया है। लैंड डायवर्सन के बारे में था अभी टोटल लैण्ड 34.5 हेक्टेयर का जमीन है जिसमें 21.525 हेक्टेयर का डायवर्सन हो गया है बाकी का डायवर्सन करवा लेंगे हम। इन्वायरमेंट क्लीयरेंश लेने के पहले ही हम पूरा डाक्यूमेंट सबमीट करके ही ये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट में जमा करेंगे इसको। अभी पब्लिक हेयरिंग 45 डेस का ईसु आया था, 45 दिन में ये जो ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14 सितम्बर 2006 में लिखा था इसमें किसी को प्राब्लम नहीं होना चाहिये ये प्रोसेस को इन्वायरमेंट क्लीयरेंश को फास्ट करने के लिये ये नियम लगाया गया है इसके बाहर वाले को कोई प्राब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके प्रोसेस में 45 दिन से ज्यादा भी हो सकता है और डेटा कलेक्शन 5–6 साल पहले बताया था ये जो अभी बेसलाईन डेटा में जो एक्जिस्टिंग डेटा 2011 के हिसाब से लिया गया है और जो एस.आई.ए. को पूरा किया है तो उसके लिये हम लोग एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी किया था वो तीन साल के अंदर है। एम.ओ.ई.एफ. का जो है वो 3 साल के अंदर डेटा कलेक्शन होना चाहिये इसके अंदर ही है हमारा। सराईपाली और देलारी में भी किया है।

सुनवाई के दौरान 04 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये तथा पूर्व में 03 अभ्यावेदन प्राप्त हुये है। लोक सुनवाई में लगभग 550 लोगों का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पंत्रक पर 114 लोगों ने हस्ताक्षर किये। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई है। लोक सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद! आज की लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की जाती है।

(अंकुर साहू)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ (छ.ग.)

(संतन देवी जांगड़े)
अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)